

**GOVERNMENT OF HARYANA
LABOUR DEPARTMENT
NOTIFICATION**

the 16th September, 2021

No. 02/08/2021-2 Lab: The following draft of rules which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by section 67 of the Code on Wages, 2019 (Central Act 29 of 2019) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (Central Act 10 of 1897), is hereby published as required by sub-section (1) of section 67 of the Code on Wages, 2019 (Central Act 29 of 2019), for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be addressed to **Labour Commissioner, Haryana, 30 Bays Building, Sector-17 B, Chandigarh** or by email at – codeonwageshry@gmail.com by any person with respect to the draft of rules before the expiry of the period so specified. The objections and suggestions should be sent in a proforma containing columns (i) specifying the name and address of the person/organization, column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub-rule proposed to be substituted and reasons thereof.

**CHAPTER-1
PRELIMINARY**

Short title, extent and commencement–

- 1.(i)** These rules may be called the Code on Wages (Haryana) Rules, 2021.
- (ii)** These rules extend to whole of the State of Haryana.
- (iii)** They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette after the date of the commencement of the Code on Wages, 2019 (Central Act 29 of 2019).

Definitions–

- 2. (1)** In these rules, unless the subject or context otherwise requires,—
 - (a)** “authority” means the authority appointed by the State Government under sub-section (1) of section 45 of the Code, by notification in the Official Gazette;
 - (b)** “appellate authority” means the appellate authority appointed by the State Government under sub-section (1) of section 49 of the Code, by notification in the Official Gazette;

- (c) “appeal” means an appeal preferred under sub-section (1) of section49;
- (d) “Board” means the Haryana State Advisory Board constituted by the State Government under sub-section (4) of section42;
- (e) “chairperson” means the Chairperson of the Board;
- (f) “Code” means the Code on Wages, 2019 (Central Act 29 of2019);
- (g) “committee” means a committee appointed by the State Government under clause (a) of sub-section (1) of section8;
- (h) “day” means a period of 24 hours beginning at mid-night;
- (i) “Form” means a form appended to these rules;
- (j) “highly skilled occupation” means an occupation which requires in its performance a specific level of perfection and required competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires of an employee to assume full responsibility for his judgment or decision involved in the execution of such occupation;
- (k) “Inspector-cum-Facilitator” means a person appointed by the State Government, by notification in the Official Gazette under sub-section (1) of section51;
- (l) “member” means a member of the Board and includes its Chairperson;
- (m) “metropolitan area” means a compact area having a population of forty lakhs or more comprised in one or more districts;
- (n) “non-metropolitan area” means a compact area having a population of more than ten lakhs but less than forty lakhs, comprised in one or more districts;
- (o) “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;
- (p) “registered trade union” means a trade union registered under the Trade Union Act, 1926 (Central Act 16 of 1926) or Industrial Relations Code, 2020 (Central Act 35 of 2020);
- (q) “rural area” means the area which is not the metropolitan area or non-metropolitan area;
- (r) “Schedule” means the Schedule appended to these rules;
- (s) “section” means a section of the Code;
- (t) “semi-skilled occupation” means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;
- (u) “skilled occupation” means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiation and judgment;
- (v) **“State Government” means the Government of the State of Haryana in the**

administrative department;

- (w) “unskilled occupation” means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no special skills;
- (2) Words and expressions used herein and not defined shall have the meanings respectively assigned to them under the Code.

CHAPTER-2**Minimum Wages****Manner of calculating the minimum rate of wages**

3. (1) For the purposes of sub-section (5) of section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria, namely:-

- (i) the standard working class family which includes a spouse and two children apart from the earning worker; an equivalent of three adult consumption units;
- (ii) a net intake of 2700 calories per day per consumption unit;
- (iii) 66 meters cloth per year per standard working class family;
- (iv) housing rent expenditure to constitute 10 per cent of food and clothing expenditure;
- (v) fuel, electricity and other miscellaneous items of expenditure to constitute 20 percent of minimum wage; and
- (vi) expenditure for children education, medical requirement, recreation and expenditure on contingencies to constitute 25 percent of minimum wage;

(2) When the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored.

Norms for fixation of minimum rate of wages

4. (1) While fixing the minimum rate of wages under section 6, the State Government shall divide the concerned geographical area into three categories, that is to say the metropolitan area, non-metropolitan area and the rural area.

(2) The State Government shall constitute a technical committee for the purpose of advising the State Government in respect of skill categorization, which shall consist of the following members, namely:-

- | | | |
|-------|--|------------------|
| (i) | Administrative Secretary, Labour | Chairperson |
| (ii) | Labour Commissioner, Haryana | Member Secretary |
| (iii) | a representative from the Skill Development Mission, Haryana | Member |
| (iv) | Director General, Employment Department, Haryana | Member |
| (v) | One representative from the Finance Department, | Member |

Haryana

- (vi) two technical experts in wage determination as Members nominated by the State Government
- (vii) Economic and Statistical Advisor, Haryana, Department of Member Planning

(3) The State Government shall, on the advice of the technical committee referred to in sub-rule (2), categorize the occupations of the employees into four categories that is to say unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, deleting or adding any entry in the categorization of such occupations specified in Schedule-E.

(4) The technical committee referred in sub-rule (2), shall while advising the State Government under said sub-rule, take into account, to the possible extent, the national classification of occupation or national skills qualification frame work or other similar frame work for the time being formulated to identify occupations.

Time Interval for revision of dearness allowance

5. Endeavour shall be made so that the cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities at concession rate shall be computed once before the 1st April and then before the 1st October every year to revise the dearness allowance payable to the employees on the minimum wages.

Number of hours of work which shall constitute a normal working day

6.(1) The normal working day under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Code shall comprised of eight hours of work and one or more intervals of rest which in total shall not exceed one hour.

(2) The working day of an employee shall be so arranged that inclusive of the intervals of rest, if any, it shall not spread over more than twelve hours on any day.

(3) The provisions of sub-rule (1) and (2) shall, in the case of an employee employed in agricultural employment, be subject to such modifications as may, from time to time, be determined by the State Government.

(4) Nothing in this rule shall be deemed to affect the provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (Central Act 37 of 2020).

Weekly day of rest

7. (1) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed a day of rest every week (hereinafter referred to as "the rest day") which shall ordinarily be Sunday, but the employer may fix any other day of the week as the rest day for any employee or class of employees:

Provided that an employee shall be entitled for the rest day under this sub-rule if he has worked under the same employer for a continuous period of not less than six days:

Provided further that the employee shall be informed of the day fixed as the rest day and of any subsequent change in the rest day before the change is effected, by display of a notice to that effect in the place of employment at the place specified in this behalf.

Explanation.- For the purpose of computation of the continuous period of not less

than six days specified in the first proviso to this sub-rule, any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work, a day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Relations Code, 2020 (Central Act 35 of 2020), and any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee in the period of six days immediately preceding the rest day, shall be deemed to be days on which the employee has worked.

(2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the five days immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(3) Where in accordance with the foregoing provisions of this rule, any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the five days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee shall be granted-

- a. wages for rest day calculated at the rate applicable to the next preceding day; and
- b. where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day:

Provided that where-

- i. the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty- six; or
- ii. the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee, then, no wages for the rest day shall be payable; and
- iii. the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate; and, if any, dispute arises, whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, quasi judicial authority may as notified by State Government, on application made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations.

Provided further that in case of an employee governed by a piece-rate system, the wages for the rest day, or the substituted rest day, as the case may be, shall be such as the State Government may, from time to time determine having regard to the minimum rate of wages fixed under the Code, in respect of the employment.

Explanation.-In this sub-rule 'next preceding day' means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the

case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the next preceding day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favourable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favourable terms aforesaid.

Explanation- For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of seven days beginning at midnight on Saturday night.

Night shifts

8. Where an employee in an employment works on a shift which extends beyond midnight, then,-

- (a) a rest day for the whole day for the purposes of rule 7 shall, in this case means a period of twenty- four consecutive hours beginning from the time when his shift ends;and
- (b) the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.

Extent and conditions for the purposes of sub-section (2) of section 13

9. In case of employees-

- (a) engaged in any emergency which could not have been foreseen or prevented;
- (b) engaged in work of the nature of preparatory or complementary work which must necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working in the employment concerned;
- (c) whose employment is essentially intermittent;
- (d) engaged in any work which for technical reasons has to be completed before the duty is over; and
- (e) engaged in a work which could not be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces;

the provisions of rules 6, 7 and 8 shall apply subject to the condition that –

- (i) the spread over of the hours of work of the employee shall not exceed 16 hours in any day;and
- (ii) the actual hours of work excluding the intervals of rest and the periods of inaction during which the employee may be on duty but is not called upon to display either physical activity or sustained attendance shall not exceed 9 hours in any day.

Longer wage period

10. The longer wage period for the purposes of minimum rate of wages under section 14 shall be by the month.

Circumstances under clause (ii) of the proviso to section 10

11. An employee shall not be entitled to receive wages for a full normal working day under section 10, if he is not entitled to receive such wage under any other law for the time being in force.

**CHAPTER-3
PAYMENT OF WAGES**

Recovery under sub-section (4) of section 18

12. Where the total deductions authorized under sub-section (2) of section 18 exceed fifty percent of the wages of an employee, the excess shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period or wage periods, as the case may be, in such installments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty percent of the wages of the employee in that month.

Appointment of Authority under sub-section (1) of section 19

13. The Deputy Labour Commissioner shall be the prescribed authority for the purpose of sub-section (1) of section 19.

Manner of exhibiting the notice under sub-section(2) of section 19

14. A notice referred to in sub-section(2) of section 19 shall be displayed in both the languages i.e. English and Hindi at the conspicuous places in the premises of the work place in which the employment is carried on, so that every concerned employee may be able to easily read the contents of the notice and a copy of the notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction of that area.

Procedure under sub-section (3) of section 19

15. The employer shall give an intimation in writing specifying therein, the detailed particulars for obtaining the approval of the imposition of fine to the authority referred in rule 13, who shall, before granting or refusing the approval, give opportunity of being heard to the employee and the employer concerned.

Intimation of deduction

16.(1) Where an employer makes any deduction in pursuance of the proviso to sub-section (2) of section 20, he shall give intimation of such deduction to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction within ten days from the date of such deduction explaining therein the reason of such deduction.

(2) The Inspector-cum-Facilitator shall, after receiving intimation under sub-rule (1), examine such intimation and if he finds that the explanation given therein is in contravention of any provision of the Code or the rules made thereunder, issue the notice of illegal deduction made and direct employer to comply with notice made thereunder and in case of

non compliance, he shall initiate appropriate action under the Code against the employer, after giving opportunity to the employer.

Procedure for deduction under sub-section (2) of section 21

17. Any employer desiring to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of section 21 from the wages of an employee shall in the Form-I.

- (i) explain to the employee personally and also in writing the damage or loss of goods expressly entrusted to the employee for custody or for loss of money for which he is required to account and how such damages or loss is directly attributable to the neglect or default of the employee; and
- (ii) thereafter, give the employee an opportunity to offer any explanation and deduction for any damages or loss, if made, shall be intimated to the employee within fifteen days from the date of such deduction.

Conditions regarding recovery of advance under section 23

18. The recovery, as the case may be of,

- (i) advances of money given to an employee after the employment begins under clause (b) of section 23; or

(ii) advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in installments determined by the employer, so as any or all installments in a wage period shall not exceed fifty percent of the wages of the employee in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-I.

Deduction for recovery of loans under section 24 –

19. Deductions for recovery of loans granted for house building or other purposes approved by the State Government, and the interest due in respect thereof shall be, subject to any direction made or circular issued by the State Government from time to time regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest shall be payable thereon.

**CHAPTER-4
Payment of Bonus**

Calculation of set on or set off for the sixth accounting year under section 26

20. For the sixth accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (i) of sub-section (7) of section 26, in the manner illustrated in Schedule A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case may be, of the allocable surplus set on or set off in respect of the fifth and sixth accounting years.

Calculation of set on or set off for the seventh accounting year

21. For the seventh accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (ii) of sub-section (7) of section 26, in the manner illustrated in Schedule A,

taking into account the excess or deficiency, if any, as the case may be, of the allocable surplus set on or set off in respect of the fifth, sixth and seventh accounting years.

Computation of gross profits under clause (a) of section 32

22. The gross profits derived by an employer from an establishment in respect of the accounting year shall in the case of banking company, be calculated in the manner specified in Schedule B.

Computation of gross profits under clause (b) of section 32

23. The gross profits derived by an employer from an establishment in respect of the accounting year in a case other than banking company, be calculated in the manner specified in Schedule C.

Deduction of further sums under clause (c) of section 34

24. The further sums as are specified in respect of the employer in Schedule D shall be deducted from the gross profit as prior charges under clause (c) of section 34.

Manner of carrying forward under sub-section (1) of section 36

25. Where for any accounting year, the allocable surplus exceeds the amount of maximum bonus payable to the employees in the establishment under section 26, then, the excess shall, subject to a limit of twenty per cent, of the total salary or wage of the employees employed in the establishment in that accounting year, be carried forward for being set on in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year to be utilized for the purpose of payment of bonus in such manner as illustrated in Schedule A.

Manner of carrying forward under sub-section (2) of section 36

26. Where for any accounting year, there is no available surplus or the allocable surplus in respect of that year falls short of the amount of minimum bonus payable to the employees in the establishment under section 26, and there is no amount or sufficient amount carried forward and set on under rule 25 which could be utilized for the purpose of payment of the minimum bonus, then, such minimum amount or the deficiency, as the case may be, shall be carried forward for being set off in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year in such manner illustrated in Schedule A.

CHAPTER-5

Procedure of Constitution of Haryana State Advisory Board and other Committees

Constitution of the Haryana State Advisory Board and other Committees under sub-section 4 and 6 of section 42

27. The Haryana State Advisory Board shall consist of the following members, including the Chairperson –

- (1) State Government Representatives: -
- | | | |
|-----|---|------------------|
| (a) | Administrative Secretary to Government, Haryana, Labour Department | Chairperson |
| (b) | Labour Commissioner, Haryana | Member Secretary |
| (c) | Special Secretary / Secretary to Government, Haryana, Finance Department | Member |
| (d) | Economic and Statistical Advisor, Haryana | Member |
| (e) | Director General / Director Employment Department, Haryana | Member |
| (f) | One technical expert in wage determination as nominated by State Government | Members |
- (2) All official members shall be deemed to be independent persons.
- (3) Representing Employers.
- (4) Representing employees.

Provided that the number of members representing employers shall not exceed six and the number of representing employees shall be equal in number of the members representing employer.

Provided further that one third member of the Board shall be women.

- (5) The Board may constitute committees and sub-committees under sub-section (5) of section 42 thereof, which may consist of persons—
- (a) Representing employers;
- (b) Representing employees, which shall be equal in number of the members specified in clause (a); and
- (c) Independent persons, not exceeding one-third of the total members of the committee or sub-committee, as the case may be.

Provided that one-third of the members of committee or sub-committee shall be women and one among the members specified in clause (c) shall be appointed by the Haryana State Advisory Board as the Chairperson of the committee or sub-committee, as the case may be.

Additional functions of the Board

28. In addition to the functions specified in sub-section (4) of section 42, the Board on reference by the State Government, shall advise the State Government on the issues relating to the fixation of minimum wages in respect of-

- (i) working journalists as defined in clause (f) of section 2 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (Central Act 45 of 1955); and

- (ii) sales promotion employees as defined under clause (d) of section 2 of the Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (Central Act 11 of 1976).

Meeting of the Board

29. The Chairperson may, subject to the provisions of rule 31, call a meeting of the Board, at any time he thinks fit:

Provided that on requisition in writing from not less than one half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of the receipt of such requisition.

Notice of meetings

30. The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting, shall be sent to each member by registered post and electronically at least fifteen days before the date fixed for such meeting:

Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days only may be given to every member.

Functions of Chairperson

31. The Chair person shall-

- (i) preside over the meetings of the Board.

Provided that in the absence of the Chairperson at any meeting, the members shall elect from amongst themselves by a majority of votes, a member who shall preside over such meeting;

- (ii) decide agenda of each meeting of the Board.

- (iii) where in the meeting of the Board, if any, issue has to be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting.

Quorum

32. No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third of the members and at least one representative member each of both the employers and an employee are present:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the original meeting and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members present:

Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to all the members electronically or by a registered post.

Disposal of business of the Board

33. All business of the Board shall be considered at a meeting of the Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equal number of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-third majority of the members.

Method of voting

34. Voting in the Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.

Proceedings of the meetings

35.(1) The proceedings of each meeting of the Board showing inter alia the names of the members present there, shall be forwarded to each member and to the State Government as soon after the meeting as possible, and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

Summoning of witnesses and production of documents

36. (1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

Appointment of committees

37. The State Government may constitute as many committees under clause (a) of sub-section (1) of section 8 as it considers necessary for the purposes specified therein.

Term of office of members of the Board

38.(1) The term of office of the Chairperson or a member, as the case may be, shall be normally two years commencing from the date of his appointment or nomination, as the case may be, under sub-section (6) and sub-section (7) of section 42:

Provided that such Chairperson or a member shall, notwithstanding the expiry of the said period of two years, continue to hold office until his successor is appointed or nominated, as the case may be.

(2) Member of the Board, nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by other official members.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), (2) and (3), the members of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government.

Travelling allowance

39. The chairperson and every member of the Board shall be entitled to draw travelling and halting allowance for any journey performed by him in connection with his duties at the rates and subject to the conditions applicable to a Group A officer of the State Government.

Officers and Staff

40. The State Government may appoint a Secretary (not below the rank of Group A officer of Labour Department) to the committee of the Board and other officers and staff to the Board, as it may think necessary for the functioning of the Board.

Eligibility for re-nomination of the members of the Board

41. An outgoing member shall be eligible for re-nomination for the membership of the Board for not more than total two terms.

Resignation of the Chairperson and other members of the Board

42. (1) A member of the Board, other than the Chairperson, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign his membership and the Chairperson may resign by a letter addressed to the State Government.

(2) A resignation shall take effect from the date of communication of its acceptance or on the expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the State Government immediately and the State Government shall, then, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

Cessation of membership

43. If a member of the Board, fails to attend three consecutive meetings, without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.

Disqualification

44. (1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the Board—

- (i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or
- (ii) if he is an un-discharged insolvent; or
- (iii) if before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude.

(2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the State Government thereon shall be final.

CHAPTER-6
PAYMENT OF DUES, CLAIMS etc.

Payment under clause (a) of sub section (1) of section 44

45. Where any amount payable to any employee under the Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date of amount had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer with the authority as appointed under sub-section (1) of section 45 of the Code having jurisdiction, who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him.

Deposit of the undisbursed dues under clause (b) of sub-section(1) of section 44

46.(1) Where any amount payable to an employee under this Code remains undisbursed because either no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of six months from the date the amount had become payable. All such amounts shall be deposited by the employer with the authority as appointed under sub-section (1) of section 45 of the Code having jurisdiction, before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of six months.

(2) The amount referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the employer with the said authority through bank transfer or through a crossed demand draft obtained from any scheduled bank in India drawn in favour of the said authority.

Manner of dealing with the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44

47.(1) The amount referred to in sub rule (1) of rule 46 deposited by the employer with the authority appointed under sub-section (1) of section 45 shall remain with him and be invested in the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a scheduled bank.

(2) The said authority shall after obtaining the approval of the State Government, exhibit, as soon as maybe possible, a notice containing such particulars regarding the amount, considers sufficient for information, at least for fifteen days on the notice board and also publish such notice in any two newspapers being circulated in the language commonly understood in the area in which undisbursed wages were earned.

(3) Subject to the provision of sub-rule (2), such authority shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favor such authority has decided, after giving the opportunity of being heard, the amount to be paid and a detailed intimation in this regard shall be submitted to the State Government.

(4) If the undisbursed amount remains unclaimed for a period of five years, the same shall be transferred to the account of the Haryana Labour Welfare Board by the said

authority.

CHAPTER-7 PROCEDURE OF CLAIM CASES AND APPEALS

The form of a single application

48. A single application may be filed in duplicate under sub-section (5) of section 45 in Form-II along with documents specified in such Form, one copy of which shall bear such court-fee as may be specified.

Authorisation

49. The authorisation to act on behalf of an employee under section 45 shall be given in Form-VIII and shall be presented to the authority bearing the application and shall form part of the record.

Permission to appear

50. Any person desiring the permission of the Authority to act on behalf of any employee or employees shall present to the authority a brief written statement explaining his interest in the matter and the authority shall record an order on the statement which in the case of refusal, shall include reasons for the order and shall incorporate in the record.

Presentation of documents

51. (1) Applications or other documents relevant to an application may be presented in person to the authority at any time during working hours, or may be sent to him by registered post.

(2) The authority shall at once endorse or cause to be endorsed, on each document the date of the presentation or receipt, as the case may be.

Refusal to entertain application

52. (1) The authority may refuse to entertain an application presented under rule 51, if after giving the applicant an opportunity of being heard, the authority is satisfied, for reasons to be recorded in writing, that -

- (a) the applicant is not entitled to present an application; or
- (b) the application is barred by reason of the provisions to sub-section (6) of section 45; or
- (c) the applicant shows no sufficient cause for making a direction under section 45.

(2) The authority may refuse to entertain an application which is insufficiently stamped or is otherwise incomplete and, if he so refuses, shall return it at once with an indication of the defects. If the application is presented again after the defects have been made good, the date of representation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub-section (6) of section 45.

Appearance of parties

53.(1) If the application is entertained, the authority shall call upon the employer by a notice in Form IX to appear before him on a specified date together with all relevant documents and witnesses, if any and shall inform the applicant of the date so specified.

(2) If the employer or his representative fails to appear on the specified date, the authority may proceed to hear and determine the application ex parte.

(3) If the applicant fails to appear on the specified date, the authority may dismiss the application:

Provided that an order passed under sub-rule (2) or sub-rule(3) may be set aside and the application reheard on good cause being shown within one month of the date of the said order, notice being served on the opposite party of the date fixed for hearing.

Record of proceeding

54. (1) The authority shall in all cases enter the particulars indicated in Form X, the date, time of passing order and shall sign and mention the date in Form.

(2) In a case where no appeal lies, no further record shall be necessary.

(3) In a case where an appeal lies, the authority shall record the substance of the evidence and shall append it under the signatures to the record of order or direction.

Signatures on forms

55. Any Form which is required by these rules to be signed by the authority may be signed by him or under his direction and on his behalf by any officer subordinate to him appointed by him in writing for this purpose.

Exercise of Powers

56. In exercise of powers of a civil court conferred by sub-section (7) of section 45, the authority and the appellate authority shall be guided in respect of procedure by the relevant orders of the first Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), with such alterations as the authority may find necessary, not affecting their substance, for adopting them to the matter before him and save where they conflict with the express provisions of the Act of these rules.

Appeals

57.(1) Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub-section (2) of section 45 may prefer an appeal under sub-section (1) of section 49 in Form-III, along with documents mentioned by the appellant in such Form, to the appellate authority having jurisdiction.

(2) An appeal shall be preferred in duplicate in the form of a memorandum, one copy of which shall bear the prescribed court fees, setting forth concisely the grounds of objection to the order on an application made under sub-section (4) of section 45, as the case may be

and shall be accompanied by a certified copy of the said order or direction.

(3) When an appeal is lodged a notice shall be issued to the respondent in Form XI.

(4) The appellate authority after hearing the parties and after such further enquiry, if any, as it may deem necessary may confirm, vary, or set aside the order or direction for which the appeal is preferred and shall make an order accordingly.

Order or direction when to be made

58. The authority or the appellate authority, as the case may be, after the case has been heard, shall make the order or direction either at once or, as soon thereafter as may be practicable, on some future date; and when the order or direction is to be made on some future date, it shall fix date for the purpose of which due notice shall be given to the parties or their pleaders.

Inspection of documents

59. Any employee or any employer or his representative, or any person permitted under sub-section (4) of section 45, to apply for a direction, shall be entitled to inspect any application, memorandum of appeal, or any other documents filed with the authority or the appellate authority, as the case may be, in a case to which he is a party and may obtain copies thereof on the payment of such fees as may be specified.

Cost

60. (1) The authority or the appellate authority, for reasons to be recorded in writing, may direct that the cost of any proceeding pending before it shall not follow the event.

Provided that said cost shall be deposited with the district legal service authority and receipt to this effect shall be produced on the record file by the depositor with the authority.

(2) The cost which may be awarded shall include :

- (i) expense incurred on account of court fees;
- (ii) expense incurred on subsistence money to witness; and
- (iii) advocates fees to the extent of one thousand rupees provided that the authority in any proceeding may reduce the fees to a sum not less than five hundred rupees or for reasons to be recorded in writing or increases it to a sum not exceeding five thousand rupees:

Provided that where there are more than one advocate or more than one applicant or opponent the authority may, subject to aforesaid condition award such cost as it may deemed proper to the successful party or parties:

Provided further that the authority may, if in its opinion the applicant is a pauper, exempt him wholly or partly from the payment of such cost.

Court fees

61. The court fee payable in respect of proceedings under sub-section (2) section 45 shall be :

- (i) for every application - twenty five rupees in respect to summon a witness or each witness:
- (ii) for every application - ten rupees made by or on behalf of individual:

Provided that the authority may, if in its opinion the applicant is a pauper, exempt him wholly or partly from the payment of such fees:

Provided further that no fee shall be chargeable in respect of an application presented by Inspector-cum-Facilitator.

CHAPTER-8 FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

Form of register, etc

62. (1) All fines and all realizations thereof referred to in sub-section (8) of section 19 shall be recorded in a register to be kept by the employer in Form – I, electronically or otherwise.

(2) All deductions and all realizations referred to in sub-section (3) of section 21 shall be recorded in a register to be kept by the employer in Form- I, electronically or otherwise.

(3) Every employer of an establishment to which the Code applies shall maintain registers under sub-section (1) of section 50 in Form I, Form IV and Form VII, electronically or otherwise.

Provided that where an establishment has been permanently closed, the Inspector-cum-Facilitator may demand the production of the registers and records in his office or such other place as may be nearer to the employer.

Wage slip

63. Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees in Form-V under sub-section (3) of section 50, before a day prior to payment of wages.

Manner of holding enquiry under sub-section (1) of section 53

64. (1) When a complaint is filed before the officer appointed under sub-section (1) of section 53 (hereinafter referred to as the concerned officer) in respect of the offences referred to in the said sub-section either by the concerned officer authorized for such purpose by the State Government or by an employee aggrieved or by a registered trade union registered under the Trade Unions Act, 1926 / Industrial Relations Code, 2020 or an Inspector-cum-Facilitator, the concerned officer, after considering such evidences as produced before him by the complainant, is of the opinion that an offence has been committed, shall issue summons to the offender on the address specified in the complaint fixing a date for his appearance.

(2) If the offender to whom the summons has been issued under sub rule (1) appears or is produced before the concerned officer, he shall explain the offence complained against him and if the offender pleads guilty, the officer shall impose penalty on

him in accordance with the provisions of the Code and when the offender does not plead guilty, the officer shall take evidence of the witnesses produced by the complainant on oath and provide opportunity of cross examination of the witnesses so produced. The concerned officer shall record the statement of the witnesses on oath and in cross examination in writing and take the documentary evidence on record.

(3) The concerned officer shall, after the complainant's evidence is complete, provide opportunity of defence to the accused person and the witnesses produced by the accused shall be cross examined after their statements on oath by the complainant and documentary evidence in defence shall be taken on record by the concerned officer.

(4) The concerned officer shall, after hearing the parties and considering the evidences both oral and documentary, decide the complaint in accordance with the provisions of the Code.

Manner of imposing fine under sub-section (1) of section 56

65. (1) An accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 56 may make an application in Form VI electronically or otherwise to the Gazetted Officer notified under said sub-section(1) of section 56.

(2) The Gazetted Officer referred to in sub-rule (1), shall, on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable and the accused person agrees for the composition, compromise the offence for a sum of fifty per cent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within the time specified in the order of composition issued by such officer.

(3) Where the offence has been compromised under sub-rule (2) after the institution of the prosecution, then the officer shall send a copy of such order made by him for intimation to the officer referred to in sub-section (1) of section 53 for needful action under sub-section (6) of section 56.

CHAPTER-9 MISCELLANEOUS

Timely Payment of Wages

66. Where the employees are employed in an establishment through contractor, then, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor the amount payable to him or it, as the case may be, before the date of payment of wages so that payment of wages to the employees shall be made positively in accordance with the provisions of section 17 of the Code.

Explanation.-For the purpose of this rule, the expression "firm" shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (Central Act 9 of 1932).

Technical Committee for working Journalist

67. The State Government may, for the purpose of fixing minimum wages under the Code for the working journalists as defined in clause (f) of section 2 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous

Provisions Act, 1955(Central Act 45 of 1955), appoint a technical advisory committee under clause (a) of sub-section (1) of section 8 to recommend the State Government in respect of such fixation.

Responsibility for payment of minimum bonus

68. Where in an establishment, the employees are employed through contractor and the contractor fails to pay minimum bonus to them under section 26 of the Code, then, the company or firm or association or other person as referred to in the proviso to section 43 of the Code shall, on the written information of such failure, given by the employees or any registered trade union or unions of which the employees are members and on confirming such failure, pay such minimum bonus to the employees.

Inspection scheme

69. (1) For the purposes of the Code and these rules, there shall be formulated an inspectionscheme by the Labour Commissioner with the approval of the State Government.

(2) In the inspection scheme referred to in sub-rule (1), apart from other structural facts, a number shall bespecified in the scheme for each Inspector-cum-Facilitator and establishment.

Repeal and savings

70. The Punjab Minimum Wages Rules, 1950, the Punjab Payment of Wages (Procedure) Rules, 1965 andthe Punjab Payment of Wages Rules, 1937 as applicable to the State of Haryana are hereby repealed.

Provided that any order issued or any action taken under the aforesaid rules so repealed, shall be deemed to have been issued or taken under the corresponding provisions of these rules.

FORM-I**[seerule17, 18 and 62]****Register of Wages, Overtime, Fine, Deduction for damage and Loss**

Name of the Establishment:

Name of the Employer:

Name of the Owner:

PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN):

Sr. No. in Employee Register	Name of the employee	Designation / Department	Duration of Payment of Wages (Monthly /Fortnightly /Weekly/Daily/Piece rated)	Wage Period From-To	Total no. of days worked during the period	Total overtime (hours worked or production in case of piece workers)	Rates of wages		
							Basic	DA	Allowances
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Overtime earning	Nature of acts and omissions for which fine imposed with date	Amount of fine imposed	Damage or loss caused to the employer by neglect or default of the employee	Amount of deduction from wages	Total amount of wages paid	Date of Payment	Attendance	
							Date	Signature/ Transaction details
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Now-a-days payments are transferred / made to the employees / workers by cheques / bank transfers. Considering the above scenario bank transaction details have also been inserted as alternative to signatures in heading 19.

asunder:

(a) Rs.....

(b) Rs.....

(c) Rs.....

Total Rs.....

(5) The applicant(s), therefore, pray(s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code on Wages, 2019 for;

(a) payment of the difference between the wages payable under the Code and the wages actually paid,

(b) payment of remuneration for the days of rest

(c) payment of wages at the over time rates,

(d) compensation amounting to Rs.....

(6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated.....

Signature or thumb-impression of the
employed

Person(s), or official of a registered trade union
duly authorized or Inspector- cum-Facilitator.

Note: The applicant(s), if required, may append annexures containing details, with this application.

FORM-III

(seerule 57(1))

Appeal under section 49(1) of the Code on Wages, 2019

Before The Appellate Authority under the Code on Wages, 2019

A.B.C

Address.....APPELLANT

Vs.

C.D.E.

Address.....RESPONDENT

DETAILS OF APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal is made:
Number and date:

The authority who has passed the impugned order:

Amount awarded:

Compensation awarded , if any :
2. Facts of the case:
(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact).
3. Grounds for appeal:
4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any Appellate Authority:
The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal has been made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.
5. Reliefs sought :
In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s)
:—

[Specify below the relief(s) sought]
6. List of fen closures:
 - i.
 - ii.

iii.

Date :

Place :

Signature of the appellant.

For office use

Date of filing or Date of receipt by post

Registration No.

Authorized Signatory

FORM-IV**[seerule 62(3)]****EMPLOYEE REGISTER**

Name of the Establishment :

Name of the Employer:

Name of the Owner :
Employer:

PAN/TAN of the

Labour Identification Number (LIN):

Sr. No.	Employee Code	Name	Nominee Name	Gender	Father's /Spouse Name	Date of Birth	Nationality	Education Level	Date of Joining	Designation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Category (HS/S/SS/US)*	Type of Employment	Mobile No.	UAN	PAN	ESIC IP No.	Aadhaar	Bank A/c Number	Bank	Branch (IFSC)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Present Address	Permanent Address	Service Book No.	Date of Exit	Reason for Exit	Mark of Identification	Photo	Specimen Signature/T humb Impression	Remarks
22	23	24	25	26	27	28	29	30

*(Highly Skilled/Skilled/Semi skilled/Unskilled)

(Inserted name of the nominee in column 4 to avoid the litigation for undisbursed / unpaid amount in case of death of worker.) Relate with section 44 (1) (a) and (b) of the Code.

FORM-V
[see rule 63]
WAGE SLIP

Date of issue:

Name of the Establishment..... Address.....Period.....

1. Name of employee :
2. Father's /Spouse name :
3. Designation:
4. UAN:
5. Bank Account No.:
6. Wage period:
7. Rate of wages payable: a.)Basic b.)D.A. c.)other allowances
8. Total attendance/unit of work done:
9. Overtime wages:
10. Gross wages payable :
11. Total deductions: a.) PF b.)ESI c.) Others
12. Net wages paid:

Employer / Pay-in-charge signature

FORM-VI

[see rule 65 (1)]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 56 FOR COMPOSITION OF OFFENCE

1. Name of applicant :
2. Father's /Spouse name :
3. Address of the applicant :
4. Particulars of the offence:
5. Section of the Code under which the offence is committed:.....
6. Maximum fine provided for the offence under the Code:.....
7. Whether prosecution against the applicant is pending or not.....
8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to the offence. If yes, then, full details of the prior offence.....
9. Any other information which the applicant desires to provide.....

Dated:

Applicant
(Name and signature)

FORM-VII**[seerule 62 (3)]****BONUS PAID TO EMPLOYEES FOR THE ACCOUNTING YEAR ENDING ON THE**
.....

Name of the establishment.....

No. of working days in the year.....

Sr. No.	Name of the employee	Father's name	Designation	No. of days worked in the year	Total salary or wage in respect of the accounting year	Amount of bonus payable under section 26 or section 27 as the case may be
1	2	3	4	5	6	7

Puja bonus or other customary bonus during the accounting year	Interim bonus of bonus paid advance	Deductions		
		¹ [Amount of income-tax deducted]	Deduction on account of financial loss, if any, caused by misconduct of employee	[Total sum deducted under columns 8, 9, 9A and 10]
8	9	9A	10	11

Net Amount Payable (Column 8 minus Column 12)	Amount actually paid	Date on which paid	Mode of Payment of Bonus
12	13	14	15

FORM-VIII

[see rule 49]

Certificate of Authorization

I/We employed persons(s) hereby authorize a legal practitioner/an official of which is registered trade union to act on my /our behalf under **section 45 or section 49** of Code on Wages, 2019, in respect of the claim against..... on account of the delay in payment of/illegal deductions from my/our wages for.....

Witnesses	1.1.	2.2.
	3.3.	4.4.

I accept the authorization

Signature

Legal practitioner/Official
of a registered trade union

FORM-IX

[see rule 53 (1)]

Notice for the disposal of application

To

Whereas under the Code on Wages, 2019, a claim against you has been presented to me in the application of which a copy is enclosed. You are hereby called upon to appear before me either in person or by any person duly instructed and able to answer all material question relating to the application, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions on the..... day of..... at..... "O' clock in the forenoon/afternoon to answer the claim and as the day fixed for your appearance is appointed for the final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence, and the documents upon which you intend to rely in support of your defense.

Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the application will be hoard and determined in your absence. Given under my hand and seal this day.....

Seal Authority

FORM-X

[see rule 54(1)]

(Record of order or direction)

1. Serial Number:
2. Date of application:
3. Name or names, parentage, address of the applicants, or some or all of the applicants belonging to the same unpaid group:.....
4. Name and address of the employer:
5. Amount claimed:
- (a) delayed wages:
- (b) as deducted from wages Rs.:
6. Plea of the employer and his examination
 (if any):
7. Finding and a brief statement of the reasons therefore:
8. Amounts awarded :.....
- (a) delayed wages:
- (b) deducted wages:
9. Compensation awarded:
10. Penalty imposed:
11. Cost awarded to :.....
- (1) Court fee charges:
- (2) Pleader's fee:
- (3) Witnesses' expenses:
12. Costs awarded to :.....
- (i) Court fee charge:
- (ii) Pleader's fee:
- (iii) Witnesses' expenses:

Signed.....

Dated.....

Note - In cases where an appeal lies, attach on a separate sheet the substance of the evidence.

FORM-XI

[see rule 57 (3)]

**Notice to respondent of the day fixed for the hearing of the appeal
under section 45 (2) of the Code on Wages, 2019**

Appeal from the direction of the authority for thearea, dated
theday of.....

Respondent

Take notice that an appeal of which a copy is enclosed, from the decision of the authority for
.....area has been presented by X.Y.Z, (and others) and registered in the Court
and that the..... day of..... has been fixed by this Court for the hearing
of this appeal.

If no appearance is made on your behalf, by yourself or by someone authorised by law to act
for you in this appeal, it will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court, this day of..... 20.....

Seal

Authority.....

Schedule A

[seerules 20, 21, 25, and 26]

In this Schedule, the total amount of bonus equal to 8.33 per cent of the annual salary or wage payable to all the employees is assumed to be Rs. 1,04,167. Accordingly, the maximum bonus to which all the employees are entitled to be paid (twenty per cent of the annual salary or wage of all the employees) would be Rs. 2,50,000.

Year	Amount equal to sixty per cent. or sixty-seven per cent., as the case may be, of available surplus allocable as bonus	Amount payable as bonus	Set on or Setoff of the year carried forward	Setoff Total set on or set off carried forward	
1	2	3	4	5	6
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Of (year)
1.	1,04,167	1,04,167**	Nil	Nil	
2.	6,35,000	2,50,000*	Set on 2,50,000*	Set on 2,50,000*	(2)
3.	2,20,000	2,50,000* (inclusive of 30,000 from year- 2)	Nil	Set on 2,20,000	(2)
4.	3,75,000	2,50,000*	Set on 1,25,000	Set on 2,20,000 1,25,000	(2) (4)
5.	1,40,000	2,50,000* (inclusive of 1,10,000 from year-2)	Nil	Set on 1,10,000 1,25,000	(2) (4)

6.	3,10,000	2,50,000*	Set on 60,000	Set on Nil + 1,25,000 60,000	(2) (4) (6)
7.	1,00,000	2,50,000* (inclusive of 1,25,000 from year-4 and 25,000 from year- 6)	Nil	Set on 35,000	(6)
8.	Nil	1,04,167** (inclus ive of 35,000 from year-6)	Set off	Set off	
	(due to loss)		69,167	69,167	(8)
9.	10,000	1,04,167**	Set off 94,167	Set off 69,167 94,167	(8) (9)
10.	2,15,000	1,04,167** (after setting off 69,167 from year-8 and 41,666 from year-9)	Nil	Set off 52,501	(9)

Notes:-

* Maximum.

+ The balance of Rs. 1,10,000 set on from year-2 lapses.

** Minimum

Schedule B

COMPUTATION OF GROSS PROFITS

[see rule 22]

Accounting year ending

Item No.	Particulars	Amount of	Amount of	Remarks
		sub- Items	main Items	
		Rs.	Rs.	
*1.	Net Profit as shown in the Profit and Loss Account after making usual and necessary provisions.			
2.	Add back provision for: (a) Bonus to employees (b) Depreciation (c) Development Rebate Reserve (d) Any other reserves Total of ItemNo.2.....			See foot-note(1)
		Rs.....		See foot-note(1)
3.	Add back also: (a) Bonus paid to employees in respect of previous accounting years. (b)The amount debited in respect of gratuity paid or payable to employees in excess of the aggregate of– (i) the amount, if any, paid to, or provided for payment to, an approved gratuity fund; and (ii) the amount actually paid to employees on			See foot-note (1)

	<p>their retirement or on termination of their employment for any reason.</p> <p>(c) Donations in excess of the amount admissible for income-tax.</p> <p>(d) Capital expenditure (other than capital expenditure on scientific research which is allowed as a deduction under any law for the time being in force relating to direct taxes) and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has been allowed for in cometax).</p> <p>Any amount certified by the Reserve Bank of India in terms of sub-section (2) of section 34A of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949).</p> <p>Losses of, or expenditure relating to, any business situated out side India.</p> <p>Total of Item No.3.....</p> <p>amount admissiblefor income-tax.</p> <p>(g) Capital expenditure (other than capital expenditure on scientific research which is allowed as a deduction under any law for the time being in force relating to direct taxes) and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has been allowed for in cometax).</p> <p>Any amount certified by the Reserve Bank of India in terms of sub-section (2) of section 34A of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949).</p> <p>Losses of, or expenditure relating to, any business situated out side India.</p> <p>Total of Item No.3.....</p>	<p>Rs.....</p>		<p>See foot-note (1)</p>
--	---	----------------	--	--------------------------

4.	<p>Add also income, profits or gains (if any) credited directly to published or disclosed reserves, other than-</p> <p>(i) capital receipts and capital profits (including profits on the sale of capital assets on such depreciation has not been allowed for income-tax);</p> <p>(ii) profits of, and receipts relating to , any business situated out side India;</p> <p>(iii) income of foreign banking companies from investment out side India.</p> <p>Net total of Item No.4.....</p>	Rs.....		
5.	Total of Item Nos.1, 2, 3 and 4...	Rs.....		
6.	<p>Deduct :</p> <p>(a) Capital receipts and capital profits (other than profits on the sale of assets on which depreciation has been allowed for income-tax).</p> <p>(b) Profits of, and receipts relating to any business situated outside India.</p> <p>(c) Income of foreign banking companies from investments outside India .</p> <p>(d) Expenditure or losses (if any) debited directly to published or disclosed reserves, other than –</p> <p>(i) capital expenditure and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has not been allowed for income-tax);</p> <p>(ii) losses of any business situated outside India.</p>			<p>See foot-note(2)</p> <p>See foot-note(2)</p> <p>See foot-note (2)</p> <p>See foot-note (3)</p>

	(e) In the case of foreign banking companies proportionate administrative (overhead) expenses of head-office allocable to Indian business.			
	(f) Refund of any excess direct tax paid for previous accounting years and excess provision if any of previous accounting years, relating to bonus, depreciation or development rebate, if written back.			See footnote (2)
		Rs.....		
	(g) Cash subsidy, if any, given by the government or by anybody corporate established by any law for the time being in force or by any other agency through budgetary grants, whether given directly or through any agency for specified purposes and the proceeds of which are reserved for such purposes.			See footnote (2)
	Total of Item No. 6			
7.	Gross profits for purposes of bonus (Item No. 5 minus Item No. 6)			

Explanation: In sub-item (b) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in clause (5) of section 2 of the Income Tax Act, 1961.

*** Where the profit subject to taxation is shown in the Profit and Loss account and the provision made for taxes on income is shown, the actual provision for taxes on income shall be deducted from the profit.**

Foot-notes:-

(1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account.

(2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account.

In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated profit and loss account adjusted as in Item No. 2 above only)]

Schedule C

COMPUTATION OF GROSS PROFITS

[see rule 23]

Accounting year ending.....

Item No.	Particulars	Amount. Of	Amount. Of	Remarks
		sub- Items	mainItems	
		Rs.	Rs.	
1.	Net profit as per profit and loss account			
2.	Add back provision for : (a) Bonus to employees (b) Depreciation. (c) Direct taxes, including the provision (if any), for previous accounting years (d) Development rebate / investment allowance / development allowance reserve. (e) Any other reserves Total of Item No.2.....			See foot-note (1) See foot-note (1)
3.	Add back also : (a) Bonus paid to employees in respect of previous accounting years. (aa) The amount debited in respect of gratuity paid or payable to employees in excess of the aggregate of-			See foot-note (1)
		Rs.....		

	<p>(i) the amount, if any, paid to, or provided for payment to, an approved gratuity fund; and</p> <p>(ii) the amount actually paid to employees on their retirement or on termination of their employment for any reason.</p> <p>(b) Donations in excess of the amount admissible for income-tax.</p> <p>(c) Any annuity due, or commuted value of any annuity paid, under the provisions of section 280D of the Income Tax Act during the accounting year.</p> <p>(d) Capital expenditure (other than capital expenditure on scientific research which is allowed as a deduction under any law for the time being in force relating to direct taxes) and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has been allowed for income tax or agricultural income-tax.).</p> <p>(e) Losses of , or expenditure relating to, any business situated outside India.</p> <p>Total of Item No.3.....</p>	Rs.....		See foot-note (1)
4.	<p>Add also income, profits or gains (if any) credited directly to reserves, other than-</p> <p>(i) capital receipts and capital profits (including profits on the sale of capital assets on which depreciation has not been allowed for income-tax or agricultural income-tax);</p> <p>(ii) profits of, and receipts relating to, any business situated outside India;</p>			

	(f) Refund of any direct tax paid for previous accounting years and excess provision, if any, of previous accounting years relating to bonus, depreciation, taxation or development rebate or development allowance, if written back.			See-foot-note (2)
	(g) Cash subsidy, if any, given by the government or by any body corporate established by any law for the time being in force or by any other agency through budgetary grants, whether given directly or through any agency for specified purposes and the proceeds of which are reserved for such purposes. Total of Item No.6			
		Rs.....		
7.	Gross Profits for purposes of bonus (Item No.5 minus Item No.6)	Rs.....		

Explanation: In sub-item (aa) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in clause(5) of section 2 of the Income Tax Act, 1961. Foot-notes:-

- (1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account.
- (2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account.

In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated Profit and Loss Account, adjusted as in Item No. 2 above only).

Schedule D

[seerule 24]

Item No.	Category of employer	Further sums to be deducted
(1)	(2)	(3)
1.	Company, other than a banking company.	<p>(i) The dividends payable on its preference share capital for the accounting year calculated at the actual rate at which such dividends are payable;</p> <p>(ii) 8.5 percent of its paid up equity share capital as at the commencement of the accounting year;</p> <p>(iii) 6 percent of its reserves shown in its balance sheet as at the commencement of the accounting year, including any profits carried forward from the previous accounting year:</p> <p>Provided that where the employer is a foreign company within the meaning of section 2 (42) of the Companies Act ,2013 (18 of 2013) , the total amount to be deducted under this item shall be 8.5 percent on the aggregate of the value of the net fixed assets and the current assets of the company in India after deducting the amount of its current liabilities (other than any amount shown as payable by the company to its Head Office whether towards any advance made by the Head Office or otherwise or any interest paid by the company to its Head Office) in India.</p>
2.	Banking company	<p>(i) The dividends payable on its preference share capital for the accounting year calculated at the rate at which such dividends are payable;</p> <p>(ii) 7.5 per cent of its paid up equity share capital as at the commencement of the accounting year ;</p> <p>(iii) 5 per cent of its reserves shown in its balance sheet as at the commencement of the accounting year, including any profits carried forward from the previous accounting year;</p> <p>(iv) any sum which, in respect of the accounting year, is transferred by it-</p> <p>(a) to a reserve fund under sub-section (1) of section 17 of the</p>

		<p>Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949); or</p> <p>(b) to any reserves in India in pursuance of any direction or advice given by the Reserve Bank of India,</p> <p>whichever is higher:</p> <p>Provided that where the banking company is a foreign company within the meaning of section 2 (42) of the Companies Act , 2013 (18 of 2013), the amount to be deducted under this item shall be the aggregate of-</p> <p>(i) the dividends payable to its preference shareholders for the accounting year at the rate at which such dividends are payable on such amount as bears the same proportion to its total preference share capital as its total working funds in India bear to its total world working funds;</p> <p>(ii) 7.5 per cent of such amount as bears the same proportion to its total paid up equity share capital as its total working funds in India bear to its total working funds.</p> <p>(iii) 5 per cent of such amount as bears the same proportion to its total disclosed reserves as its total working funds in India bear to its total world working funds;</p> <p>(iv) any sum which, in respect of the accounting year, is deposited by it with the Reserve Bank of India under sub-clause (ii) of clause (b)of sub-section (2) of section 11 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) , not exceeding the amount required under the aforesaid provision to be so deposited.]</p>
3.	Corporation	<p>(i) 8.5 per cent of its paid up capital as at the commencement of the accounting year;</p> <p>(ii) 6 per cent of its reserves, if any, shown in its balance sheet as at the commencement of the accounting year, including any profits carried forward from the previous accounting year.</p>
4.	Co-operative society	<p>(i) 8.5 per cent of the capital invested by such society in its establishment as evidenced from its books of accounts at the commencement of the accounting year;</p> <p>(ii) such sums as has been carried forward in respect of the accounting year to a reserve fund under any law relating to co-operative societies for the time being in force.</p>

5.	Any other employer not falling under any of the aforesaid categories	<p>8.5 per cent of the capital invested by him in his establishment as evidenced from his books of accounts at the commencement of the accounting year:</p> <p>Provided that where such employer is a person to whom Chapter XXII-A of the income Tax Act applies , the annuity deposit payable by him under the provisions of that Chapter during the accounting year shall also be deducted:</p> <p>Provided further that where such employer is a firm, an amount equal to 25 per cent of the gross profits derived by it from the establishment in respect of the accounting year after deducting depreciation in accordance with the provisions of clause (a) of section 6 by way of remuneration to all the partners taking part in the conduct of business of the establishment shall also be deducted, but where the partnership agreement, whether oral or written, provides for the payment of remuneration to any such partner, and—</p> <p>(i) the total remuneration payable to all such partners is less than the said 25 per cent the amount payable, subject to a maximum of forty-eight thousand rupees to each such partner; or</p> <p>(ii) the total remuneration payable to all such partners is higher than the said 25 per cent , such percentage, or a sum calculated at the rate of forty – eight thousand rupees to each such partner, whichever is less , shall be deducted under this proviso:</p> <p>Provided also that where such employer is an individual or a Hindu</p> <p>Undivided Family -</p> <p>(i) an amount equal to 25 per cent of the gross profits derived by such employer from the establishment in respect of the accounting year after deducting depreciation in accordance with the provisions of clause (a) of section 34;or</p> <p>(ii) forty-eight thousand rupees,</p>
----	--	---

		Whichever is less by way of remuneration to such employer, shall also be deducted.
--	--	--

Explanation:

The expression "reserves" occurring in column (3) against Item Nos. 1(iii), 2(iii) and 3(ii) shall not include any amount set apart for the purpose of-

- (i) payment of any direct tax which, according to the balance-sheet, would be payable;
- (ii) meeting any depreciation admissible in accordance with the provisions of clause (a) of section 34;
- (iii) payment of dividends which have been declared, but shall include,-
 - (a) any amount, over and above the amount referred to in clause-(i) of this Explanation, set apart as specific reserve for the purpose of payment of any direct tax; and
 - (b) any amount set apart for meeting any depreciation in excess of the amount admissible in accordance with the provisions of clause (a) of section 34.

Schedule E (see rule 4 (3))

S.No.	UNSKILLED
1	Beldar
2	Calf boy
3	Cattleman
4	Cleaner (Motor shed, Tractor, Cattle, Yard, M.T)
5	Collecting loose fodder
6	Dairy coolie
7	Mazdoor (Arportculturist Compost, Dairy's Haystaking, Irrigation, Manure, Stacking, Milk- room, Ration room Store, Anti-Malaria, M.R.)
8	Driver (Mule, Bullock, Camel, Donkey)
9	Dresser
10	Driver (Bullocks Mule)
11	Grazler
12	Dairyman
13	(Store-Mazdoor)
14	Carrier (Stone),
15	Breaker (using manual appliances)
16	Helper
17	Messenger (Office)
18	Mali
19	Syce
20	Tying and Carrying loose hay
21	Sweeper,

22	Weighing and Carrying bales,
23	Weighman (Bales, pally),
24	Waterman,
25	Stable man,
26	Trolley man
27	Valveman,
28	Watchman,
29	White Washer,
30	Wooderman,
31	Wooder Woman,
32	Borryman,
33	Coalman,
34	Condenser,
35	Attendant,
36	Grass Cutter,
37	MuchhersJamadars,
38	Condenser Attendant,
39	Shunters
40	Turner,
41	Bajri Spreader,
42	Beater Women,
43	Bell-Woman,
44	Chain Man,

45	Boat Man,
46	Bucket Man,
47	Labourer (Boiler, Cattle Yard, Cultivation, General Loading and Unloading, Bunding, Carting- Fertilizers, Harvesting, Miscellaneous Seeding, Sowing, Thatching, Transplanting, Weeding)
48	Cleaner (Crane, Truck, Cinder for ash Pit),
49	Cartman,
50	Caretaker (Bridge),
51	Carrier (Water),
52	Chowkidar,
53	Concrete (Hand Mixer),
54	Daffadar,
55	Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule),
56	Flag Man,
57	Flagman (Blast Train),
58	Khalasi not attending to machines
59	Gangmen,
60	Gatingman (Permanent Way),
61	Handle Man, Jumper Man,
62	Kamin (Female Work),
63	Khalas,
64	Bridge,
65	Electrical,
66	Marine,

67	Moplah,
68	Store,
69	Steam Road,
70	Share,
71	Roller Survey,
72	labourer (Garden),
73	Mazdoor,
74	Hole Cutter,
75	Lorry Trainees,
76	Petrolman,
77	Searcher,
78	Signal man,
79	Strikers,
80	Vaks Controller,
81	Cleaner
82	Dresser / Dressing Mazdoor
83	Loader
84	Mazdoor (Male/Female)
85	Messenger (Male / Female)
86	Trammer
87	Caretaker (except in Copper, Chromite and Graphite mines where it is semiskilled)
88	Office Peon /Peon (except in Bauxite Mines)
89	Sweeper (Male / Female)

90	Carrier
91	Number Taker
92	TrolleyTriper
93	Water Carrier
94	Earth Cutter
95	Survey Khalasi
96	Gate Man,
97	Concrete (Hand Mixer)
98	Dismantling stocks
99	Lampman
100	Beldar/Beldar (Canteen)
101	Coolie
102	Peon
103	Cook-helper
104	Office Boy
105	Quarry Worker
106	Jelly Maker
107	Over burden Remover
108	Waste removing mazdoor
109	Unloader
110	Excavating Labour
111	Digger
112	Butcher

113	Attender
114	Lorry Helper
115	Surface loader
116	Wood Cutter
117	Surface Mukar
118	Under Ground Mukar
119	Striker (Moplah gang),
120	Tall Boy,
121	Tile
122	Person employed in loading and unloading
123	Person employed in sweeping and cleaning and other categories by whatever name called which are of unskilled nature

S.No.	SEMI SKILLED
1	Assistant (Chowdhary)
2	Attendant (Bull-calving lines, Chowkidar, Chaff cutter, Hostel, Dry Stock, Grain crusher, Pump, Siekline,
3	Stable, Yard Stock)
4	Assistant-Plumber
5	Attendant
6	Bhisti
7	Brander
8	Bullman
9	Butterman

10	Coachman
11	Cobbler
12	Cultivator
13	Daftry
14	Deliveryman
15	Dhobi
16	Dresser
17	Fireman
18	Gowala
19	Hammerman
20	Helper (Blacksmith)
21	Helper
22	Jamadar (stand)
23	Jamadar
24	Khalasi
25	Mali Senior
26	Mate/Mistry
27	Mazdoor (literate)
28	Nalband
29	Oilman
30	Ploughman
31	Vtackers
32	Supervisor

33	Thatcher
34	Valveman
35	Valveman (Senior)
36	Wireman fixing tin cables
37	Cook
38	Dandee
39	Frash
40	Hacksaw man
41	Helper (locco-Crane/Truck)
42	Manjhee (Boatman)
43	Belchawala
44	Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Bulldozer Driver Mines Regulations, 1961)
45	Bhisti (with Mushk)
46	Boatman (head)
47	Breaker,
48	Breaker (Stone, Rock, Rock Stone, Stone Metal)
49	Canweaver
50	Chainman(Head)
51	Charpoy-Stringer
52	Checker
53	Cracker
54	Dollyman
55	Assistant

56	Driller
57	Driver (Skin)
58	Excavator
59	Ferroman
60	Fireman (Brick Kiln, Steam Road Roller)
61	Gate Keeper
62	Gharami
63	Classman
64	Grater
65	Greaser-cum-Fireman
66	Grinder
67	Hammerman
68	Helper (Artisan)
69	Helper (Sawyer)
70	Keyman
71	Khalasi (Head Survey, Rivertters-Moplah Gang, Supervisory)
72	Labourer (Rock-Cutting)
73	Lascar
74	Mali (Head)
75	Stockers and Boilerman
76	Thoombaman (Spade worker)
77	Tindals
78	Trolleyman (Head Motor)

79	Fitter (Assistant Semi-Skilled)
80	Jamadar (Semi-skilled)
81	Mate (Stone)
82	Kasab
83	Khalasi (Structural)
84	Masalchi P.M. Mates
85	Miner
86	Untrained Mate/ Mining Mate/ Mate without Competency certificate Under Metalliferous Mines Regulations, 1961
87	Butler/Cook
88	Breaker (using mechanical appliances)
89	Crech Ayah/Ayah/Untrained Crech Attendant
90	Assistant Driller
91	Oilman/Oiler
92	Chowkidar/ Watchman
93	Helper (Mason, Carpenter, Blacksmith)
94	Tindals
95	Topas
96	Topkar (Big Stone Breaker)
97	TrolleyJamadar
98	Winchman
99	Attendance-keeper
100	Assistant Wireman
101	Mate

102	Mate (Blacksmith, Road, Carpenter)
103	Engine Driver and/or Feeder
104	Fitter
105	Gang
106	Mazdoor Mason
107	Permanent Way
108	Pump-Driver,Turner)
109	Mazdoor (Heavy-weight)
110	Charge-man
111	Mistri (Head
112	Muccadam
113	Night-guard
114	Runner (Post dak)
115	Oilman
116	Quarry man
117	Quarry Operator
118	Stoneman
119	Stocker
120	Thatcher
121	Pump Attendant
122	Bearer
123	Breakman
124	Crowlder Man

125	Laboratory Boy
126	PointsmanSencummy
127	Stone mines and other cateogires by whatever name called which are of semi-skilled nature

S.No.	SKILLED
1	Artificer (Class-II, III, IV)
2	Blacksmith
3	Blacksmith (Class II)
4	Boilerman
5	Carpenter
6	Carpenter (Class II) Carpenter-cum- Blacksmith
7	Chowdhary
8	Driver
9	Driver (Engine Tractor, M.T.Motor)
10	Electrician
11	Fitter
12	Mason
13	Mason Class II
14	Machine hand (Class II, III, IV)
15	Machineman
16	Mate Gr. I (Senior)
17	Mechanic

18	Milk Writer
19	Mistry (Head)
20	Moulder
21	Muster Writer
22	Operator (Tube-well)
23	Painter
24	Plumber
25	Welder
26	Upholsterer
27	Wireman,
28	Chipper
29	Chipper-Cum-Grinder
30	Cook (Head)
31	Driller
32	Driller (Well Boring)
33	Driver(Loco/Truck)
34	Electrician (Assistant)
35	Mechanic (Tube-Well)
36	Mistry(Stell, Tube-Well, Telephone)
37	Meter Reader
38	Meterorogical Observer Navghani
39	Operaor (Batching Plant, Cinema Project, Clamp Shelf, Compressor, Grane, Dorrick, Diesel Engine, Doser, Dragling Drill Dumber, Excavator, Fork Lift Generator, Grader, Jack Hammer and Payment breaker Loader, Pump, Pile Driving, Scrapper, Screening Plant, Shoal, Tractor, Vibrator, Weight Batcher,

	Railway Guards, Repairer (Battery)
40	Sharper/Slotter
41	Sprayer (Ashalt) Station Master
42	Surveyor (Silt)
43	Trades-Man
44	Train Examiner
45	Turner/Miller
46	TyreVulcaniser
47	Sawyer
48	Sawyer (Selection Grade Class II) Serang
49	Serangpile
50	Driving Pantooms with Boiler
51	Shapesman
52	Shift-incharge
53	Sprayman
54	Sprayman (Roads)
55	Stone Cutter
56	Stone Cutter (Selection Grade, Grade II, Class II)
57	Stone Chisler
58	Stone Chisler (Class II)
59	Stone Blasterer
60	Sub-Overseer (Unqualified)

61	Surveyors
62	Pump Driver
63	Pump Driver (Selection Grade), Grade II and III, Class II)
64	Pump Driver (Selection Grade, P.E., Driver,
65	Pumpman
66	Pumpman (Assistant)
67	Plumber
68	Polisher (with spray) Grade II
69	Ratan Man
70	Rivet Cutter (Assistant)
71	Rivetter
72	Rivetter (Cutter)
73	Road Inspector Grade II, Railway Plate Layer
74	Rod Bender
75	Haulage Operator
76	Dispensary Attendant
77	Work Sakar
78	Mica Cutter Grade -I
79	Dresser Grade -I Mica
80	Supervisory Fireman
81	Fireman only in Mines
82	Compressor Driver
83	Pump Man Driver 96. Grinder in Mica Mines

84	Surveyors (Assistant)
85	Tailor
86	Tailor(Upholstry)
87	Transprayer
88	Tar man
89	Line Man
90	Tiler Class II
91	Wall(Floor, Roof)
92	Tiler (Selection Grade)
93	Tin-Smith
94	Tin Smith(Selection Grade, Grade II and III, Class II) Tinker
95	Well Sinker
96	Assistant Mistry
97	Armature Winder Grade-II and III
98	Bhandari
99	Blacksmith
100	Blacksmith (Selection Grade, Grade II, III, Class II and III)
101	Boilerman
102	Boilerman Grade II and III
103	Boiler Foreman Grade II
104	Work (Assistant)
105	Brick Layer
106	Bricklayer (Selection Grade, Class II)

107	Blaster
108	Chowkidar (Head)
109	Security Guard (without arms)
110	Carpenter
111	Carpenter (Selection Grade, Grade II and III, Class I and III Assistant
112	B.I.M. Road
113	Cabinet Maker
114	Caneman
115	Celotex
116	Cutter Maker Chageman, Class II and Class III, Carpenter Ordinary)
117	Checkder (Junior)
118	Chick Maker
119	Chickman (Junior) Concrete Mixure Mixer
120	Concrete Mixure Operator
121	Cobbler
122	Coremaker
123	Driver
124	Driver Motor Vehicle
125	Motor Vehicle Selection Grade
126	Motor Lorry
127	Motor-Lorry Grade II
128	Lorry Grade II
129	Diesel Engine

130	Diesel Engine Grade II
131	Mechanical Road Roller I.C. and Cement Mixer etc.
132	Road Roller
133	Road Roller Driver Grade II
134	Driver (Engine Static Stone Crusher, Tractor/Bull Dozer, Steam Road Roller, Water Pump, Mechanical Assistant, Road Roller, Mechanical, Steam Crane, Tractor with Bull Dozer Mechanical, Transport, Engine Static and Road Roller Boiler Attendant
135	Engine Operator (Stone Cursher Mechanical)
136	Distemper, Electrician, Electrician (Grade II, Class II and Class III)
137	Fitter
138	Fitter (Selection Grade, Grade II and III) class II and III Assistant, Pipe class II, Pipe Line ending Bars for
139	reinforcement Cum-mechanic, Mechanic and Plumber)
140	Gharami (Head)
141	Glazier
142	Hole Drillar for Blasting
143	Joiner
144	Joiner (Cable, Cable Grade II)
145	Lineman (Grade II, III, High Tension/Low Tension)
146	Mason
147	Mason (Selection Grade, Grade II, III and Class B Mistry)
148	Stone (Stone Class II, Brick Work, Stone work)
149	Brick-layer

150	Tile Flooring
151	B.I.M Muccadam (Head)
152	Stone cutting
153	Ordinary Machanis
154	Mechanic
155	Mechanic (Class II, Air conditioning, Air conditioning Grade II
156	Diesel Grade II
157	Road Roller Grade II
158	Assistant, Radio)
159	Manson (Gharami)
160	Mistry
161	Mistry Grade II, Air conditioning Grade II, P. Way, Survey, Santras Works)
162	Mason Class A
163	Moulder
164	Moulder (Brick, Tile)
165	Painter
166	Painter (Selection Grade,Grade II and III, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Polisher,Rough)
167	Plasterer
168	Plasterer (Mason Grade II)
169	Plumber
170	Plumber (Selection Grade, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Rough),
171	Plasterer
172	Plasterer (Mason Grade II)

173	Plumber (Selection Grade, Class-II, Assistant Senior, Junior, Mistry Grade II)
174	Plumbing Mistry
175	Plumber-cum-Fitter
176	Polisher
177	Polisher (Floor)
178	Sirdhar Lathe Man
179	Geologist
180	Trailors
181	Turner
182	Upholsterer
183	Upholsterer (Grade II and III)
184	Painter Spray (Class II)
185	Wood Cutter
186	Wood Cutter Section Grade
187	Wood Cutter Class II
188	Work Sircar
189	Welder
190	Airwineh Haulage Operator
191	Auto-electrician
192	Painter
193	Blacksmith
194	Tailor
195	Compressor Operator

196	Blaster/Shot-firer
197	Driver
198	Head cook
199	Chargeman
200	Carpenter
201	Concrete Mixer Operator
202	Compressor Attendant
203	Air Compressor Attendant
204	Tractor Driver
205	Vehicle Driver
206	Chemist and Assistant/ Chemist
207	Sub- overseer (unqualified)
208	Driller
209	Handhole Driller
210	Drill Mechanic
211	Driver Auto
212	Electrician
213	Wireless Operator Asstt. Foreman
214	Foreman
215	Fitter
216	Ferry Driver
217	Issuer Loco
218	Super Foreman

219	Hoist Operator
220	IMCE Driver
221	Driver
222	Loco Driver
223	Loader Operator
224	Linesman
225	Mechanic/ Machinist
226	Mason
227	Mid Wife
228	Tinsmith
229	Supervisory Mechanic
230	Pump Attendant only in Gypsum, Barytes and Rock Phosphates
231	Pump Operator/Driver
232	Mining Mate with competency certificate under Metalliferous Mines\ Regulations, 1961.
233	Mistry
234	Skilled Mazdoor
235	Turner
236	Senior Mechanic
237	Pipe Fitter
238	Supervisor
239	Drafts Man
240	Wireman
241	Timber Man/Timber Mistry Elect.

242	Stone Crusher Operator
243	Crusher Operator
244	Moulder
245	Welder
246	Operator
247	Work Mistry
248	Engine Driver
249	Mining Engine Driver Grade -II
250	Engineman
251	Valveman
252	Cutter
253	Winding Engine Driver Grade - II
254	Security Guard (Unarmed) /Head Chowkidar
255	Shovel Operator
256	Limco Loader Operator
257	Surface Supervisor
258	Dozer Operator
259	Compressor Driller
260	Dumper Tractor Operator
261	Boiler Man (with Certificate)
262	Machinery Attendant
263	Air-conditions Mechanic
264	Crech Attendant only in Magnesite, Manganese and Mica Mines

265	Power Shovel Operator
266	Power and Pump House Operator
267	Miner Grade – I
268	Tractor Operator 80. Tub Repairer 81. Lathe Mistry
269	Stationery Engine Attendant 83. Generator Operator 84. Loading Foreman
270	Diesel Mechanic
271	Ferro Printer cum-chairman
272	White Washing and Colour Washing Man
273	Operator Pneumatic Tools, Operator (Fitter)
274	Boreman
275	Borer
276	Wireman (Grade II and III, Mechanic, Electrical)
277	White Washer
278	White Washer (Selection Grade, Class II)
279	Wireman
280	Welder (Class II, Bridge work)
281	Welder gas
282	Muccatam (with Compentency Certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961).
283	Security Guard (without arms) and other cateogires by whatever name called which are of skilled nature
284	Assistant (Farm)
285	Assistant (Cashier)
286	Librarian

287	Telex or Telephone Operator
288	Hindi Translator
289	Telex or Telephone Operator
290	Hindi Translator
291	Accounts Clerk
292	Clerks
293	Computer/Data Entry Operator
294	Telephone Operator, Typist
295	Store Attendant
296	M. C. Clerk
297	Munshi (Matriculate, Non-matriculate)
298	Store Clerk (Matriculate Non-matriculate)
299	Store Keeper
300	Store Keeper Grade I, Grade II, (Matriculate)
301	Time Keeper
302	Time Keeper (Matriculate Non-Matriculate)
303	Book Keeper
304	Work Munshi
305	Work Munshi (Subordinate)
306	Magazine Clerk
307	Teller Clerk
308	Store clerk
309	Tally Clerk

310	Store Issuer
311	Tool Keeper
312	Computer/Date Entry Operator
313	Record Keeper
314	Tracer
315	File Clerk
316	Register Keeper
317	Time Keeper
318	Clerk
319	Munshi
320	Typist and other categories by whatever name called which are of clerical nature

S.No.	HIGHLY SKILLED
1	Artificier Class I
2	Blacksmith Class I
3	Carpenter Class I
4	Machine
5	Hand Class I
6	Mason Class I
7	Mechanic (Senior)
8	Painter (Grade I, Class I, Spray) Plasterer (Mason) Class I
9	Plumber (Head, class I)

10	Mistry Grade I
11	Polisher (with spray Grade I)
12	Road Inspector Grade I
13	Sawyer Class I
14	Stone Cutter Class I
15	Stone Cutter Grade I
16	Stone Chisler Class I
17	Stone Mason Class I
18	Sub-Overseer (Qualified)
19	Tiler Class I
20	Tinsmith Grade I and Class I
21	Upholsterer Grade I
22	Varnisher Class I
23	Welder-Cum-Fitter and Air Conditioning Mechanic
27	Welder (Gas) Class I
25	White Washer Class I
26	Wireman Grade I, Class I
27	Wood Cutter Class I
28	Grinder (Tool) Grade I
29	Operator (Batching Plant Grade I)
30	Leader Grade I
31	Pile Driving Grade I
32	Pump Grade

33	Scrapper Grade I
34	Screening Plant Grade I
35	Pump Grade I
36	Scrapper Grade I
37	Security Guards (with arms)
38	Armature Winder Grade I
39	Blacksmith Grade I and Class I
40	Boilerman Grade I
41	Boilerman Foreman Grade I
42	Brick Layer class I
43	Cable Joiner Grade I
44	Carpenter grade I and Class I
45	Celo Cutter and Decorator
46	Chargeman Class I
47	Checker (Sr) Driver Lorry Grade I
48	Motor Lorry Grade I
49	Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I
50	Road Roller Grade I
51	Pump Class Electrician Grade I and Class I/ Grade I
52	Fitter (Grade I, Class I)
53	Pipe Class I (Head)
54	Foreman(Assistant) Line Man Grade I Mason (Skilled Grade I, Class I)
55	Mast Rig

56	Mechanic Class I and Class II
57	Mechanic (Diesel Grade I and Road Roller Grade I)
58	Airconditioning Grade I/Class I, Mistry Grade I
59	Mistry (Airconditioning Grade I)
60	Overseer
61	Overseer (Senior and Junior)
62	Dragline Grade I
63	Drill Grade I
64	Dumper Grade I
65	Excavator Grade I
66	Fork Lift Grade I
67	Generator Grade I
68	Rigger Grade I
69	Rigger Grade II
70	Charper/Sletter Grade I
71	Shovel and Dragline Tractor Grade I
72	Tradesman Class I
73	Turner/Miller Grade I
74	Work (Assistant) Grade I
75	Compounder
76	Surveyor
77	Winding Engine Driver
78	Operator (Heavy Earth Moving Shovel and Bulldozer)

79	Head Mistry
80	Staff Nurse with Diploma
81	Drill Operator other than Jack Hammer
82	Electrical Supervisor with Competency Certificate
83	Underground Shift Boss
84	Head Mechanic
85	Qualified and Experienced Welder
86	Machine Tool Mechanic
87	Mechanical/Plant Foreman
88	Mining Supervisor
89	Vocational Training Instructor/Teacher
90	Head Electrician
91	Accountant
92	Steno with 7 years of service
93	Store Incharge
94	Shift Incharge
95	Supervisor
96	Incharge of Watch and Ward
97	Security Guard (Armed)
98	Crane Grade I
99	Diesel Engine Grade I
100	Dozer Grade I
101	Clamp Shell Grade I

102	Compressor Grade I
103	Grader Grade I
104	Tractor Grade I
105	Vibrator Grade I
106	Screening Plant Grade I
107	Shovel Grade I
108	Shovel and Dragline
109	Tyre vulcanser Grade I
110	Security Guard (with Arms) and other categories by whatever name called which are of Highly- skilled nature

Dr. Raja SekharVundru, IAS
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
Labour Department

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 सितम्बर, 2021

संख्या 02/08/2021-2 श्रम- नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का केन्द्रीय अधिनियम 10), की धारा 24 के साथ पठित मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 29) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा इसके द्वारा, मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 67 की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित करवाते हैं;

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है राज्य सरकार नियमों के प्रारूप पर, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 45 दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हों, विचार करेगी, जो **श्रम आयुक्त, हरियाणा, 30 बेज भवन, सैक्टर 17-बी, चण्डीगढ़ को अथवा ई-मेल codeonwageshry@gmail.com के माध्यम से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हों।** आक्षेप तथा सुझाव, प्रोफार्मा के खाना (i) में व्यक्ति/संगठन का नाम पता विनिर्दिष्ट करते हुए खाना (ii) में उपान्तरित किए जाने वाले प्रस्तावित नियम या उप-नियम को विनिर्दिष्ट करते हुए और खाना (iii) में प्रतिस्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित पुनःरीक्षित नियम या उप-नियम और इसके कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए, भेजने चाहिए।

अध्याय— 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ—

- (1) ये नियम मजदूरी संहिता (हरियाणा) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
- (2) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।
- (3) ये नियम राजपत्र में इनके अन्तिम प्रकाशन की तिथि के पश्चात् मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 29) के लागू होने की तिथि से प्रभावित होंगे।

परिभाषाएं —

2(1) इन नियमों में, जब तक विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “प्राधिकारी” से अभिप्राय है, द्वारा संहिता की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना नियुक्त प्राधिकारी;
- (ख) “अपील प्राधिकारी” से अभिप्राय है, संहिता की धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना नियुक्त अपील प्राधिकारी;
- (ग) “अपील” से अभिप्राय है, धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन की गई अपील;
- (घ) “बोर्ड” से अभिप्राय है, धारा 42 की उप-धारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित हरियाणा राज्य सहलाकार बोर्ड;
- (ङ) “अध्यक्ष” से अभिप्राय है, बोर्ड का अध्यक्ष;
- (च) “संहिता” से अभिप्राय है, मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 29);
- (छ) “समिति” से अभिप्राय है, धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति;
- (ज) “दिन” से अभिप्राय है, आधी रात से प्रारम्भ होने वाली चौबीस घण्टे की अवधि;
- (झ) “प्ररूप” से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (ञ) “अत्यधिक कुशल व्यवसाय” से अभिप्राय है, कोई ऐसा व्यवसाय, जिसके निष्पादन में उतकृष्टता का विशिष्ट स्तर अपेक्षित हो और किसी पर्याप्त अवधि के लिए तीव्र तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक व्यवसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित सक्षमता अपेक्षित हो और ऐसे व्यवसाय के निष्पादन के सम्बन्ध में उसके न्यायनिर्णय या निर्णय के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व धारण करने वाला कार्य धारण आवश्यक हो;
- (ट) “निरीक्षक—सह—सुविधाप्रदाता” से अभिप्राय है, धारा 51 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;

- (ठ) "सदस्य" से अभिप्राय है, बोर्ड का कोई सदस्य और इसमें इसका अध्यक्ष भी शामिल है;
- (ड) "महानगरीय क्षेत्र" से अभिप्राय है, वह सम्बद्ध क्षेत्र, जिसकी जनसंख्या चालीस लाख अथवा से अधिक है, जिसमें एक या से अधिक जिले शामिल हैं;
- (ढ) "गैर-महानगरीय क्षेत्र" से अभिप्राय है, वह सम्बद्ध क्षेत्र, जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक किन्तु चालीस लाख से कम हो, जिसमें एक या से अधिक जिले शामिल हैं;
- (ण) "जनसंख्या" से अभिप्राय है, ऐसी जनसंख्या, जो अन्तिम पूर्वगामी जनगणना में निर्धारित की गई है और सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं;
- (त) "पंजीकृत ट्रेड यूनियन" से अभिप्राय है, व्यवसाय संघ अधिनियम, (1926 का केन्द्रीय अधिनियम 16) अथवा औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) के अधीन पंजीकृत कोई ट्रेड यूनियन;
- (थ) "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्राय है, ऐसा क्षेत्र, जो महानगरीय क्षेत्र अथवा गैर-महानगरीय क्षेत्र न हो;
- (द) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (ध) "अर्ध कुशल व्यवसाय" से अभिप्राय है, ऐसा व्यवसाय, जिसमें इसके निष्पादन में जॉब अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित हो, जो किसी कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्शन में उपयोग किए जाने में समर्थ हो और इसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी शामिल है;
- (न) "कुशल व्यवसाय" से अभिप्राय है, ऐसा व्यवसाय, जिसमें उसके निष्पादन में जॉब अनुभव के माध्यम से अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता और सक्षमता आवश्यक हो और जिसके निष्पादन में पहल करने और विवेक की आवश्यकता हो;
- (प) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
- (फ) "अकुशल व्यवसाय" से अभिप्राय है, ऐसा व्यवसाय, जिसमें इसके निष्पादन में सामान्यतः संचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता हो और इसमें कोई विशेष कौशल शामिल न हो;
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा संहिता में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः संहिता में दिए गए हैं।

अध्याय-2 न्यूनतम मजदूरी

मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना करने की रीति

3.(1) धारा 6 की उप-धारा (5) के प्रयोजनों हेतु, मजदूरी की न्यूनतम दर निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए दैनिक आधार पर नियत की जाएगी:—

- (i) मानक श्रमिक वर्ग परिवार, जिसमें कमाने वाले कर्मकार के अलावा उसकी पत्नी या उसका पति और दो बच्चे शामिल होंगे, जो तीन व्यस्क उपयोग इकाईयों के समान हैं;
- (ii) प्रति उपभोग इकाई हेतु प्रतिदिन 2700 कैलोरी का शुद्ध उपभोग;
- (iii) प्रति मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए प्रति वर्ष 66 मीटर कपड़ा;
- (iv) आवासीय किराया व्यय, भोजन और वस्त्र व्यय का 10 प्रतिशत;
- (v) ईंधन, बिजली और अन्य मदों का व्यय; न्यूनतम मजदूरी का 20 प्रतिशत;
- (vi) बच्चों की शिक्षा, चिकित्सीय आवश्यकताओं, मनोरंजन और अन्य आकस्मिक व्यय, न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत।

(2) जब एक दिन के लिए मजदूरी नियत की जाती है, तो ऐसी राशि को एक घण्टे की मजदूरी की दर नियत करने के लिए आठ से भाग किया जाएगा और एक मास की मजदूरी की दर नियत करने के लिए छब्बीस से गुणा किया जाएगा और ऐसे भाग और गुणा के आधे या आधे से अधिक गुणनखंड को अगले अंक में पूर्णांकित किया जाएगा और आधे से कम गुणनखंड को नजर अंदाज किया जाएगा।

मजदूरी की न्यूनतम दर के नियतन हेतु मानदण्ड 4. (1) धारा 6 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करते समय, राज्य सरकार, सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्र को तीन प्रवर्गों अर्थात् महानगरीय क्षेत्र, गैर-महानगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित करेगी।

(2) राज्य सरकार, कौशल वर्गीकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देने के प्रयोजन के लिए तकनीकी समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- | | |
|---|------------|
| (i) प्रशासकीय सचिव, श्रम : | अध्यक्ष |
| (ii) श्रम आयुक्त, हरियाणा : | सदस्य सचिव |
| (iii) कौशल विकास मिशन, हरियाणा
सरकार से एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| (iv) महानिदेश, रोजगार विभाग, हरियाणा | सदस्य |
| (v) वित्त विभाग, हरियाणा से एक प्रतिनिधि; | सदस्य |
| (vi) राज्य सरकार द्वारा मजदूरी निर्धारण
क्षेत्र से मनोनीत दो तकनीकी विशेषज्ञ | सदस्य |
| (vii) आर्थिक एवं सांख्याकी सलाहकार,
योजना विभाग, हरियाणा | सदस्य |

(3) राज्य सरकार, उक्त उप-नियम (2) में निर्दिष्ट तकनीकी समिति की सलाह पर, कर्मचारियों के व्यवसाय को अनुसूची ड. में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यवसाय के वर्गीकरण में किसी प्रविष्टि को उपान्तरित करते हुए या हटाते हुए या जोड़ते हुए चार प्रवर्गों अर्थात् अकुशल, अर्ध कुशल तथा अत्यधिक कुशल में वर्गीकृत करेगी।

(4) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट तकनीकी समिति, राज्य सरकार को सलाह देते समय, व्यवसायों की पहचान करने के लिए व्यवसाय के राष्ट्रीय वर्गीकरण अथवा राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे अथवा तत्समय बनाए जा रहे अन्य समान ढांचे की सम्भव सीमा को ध्यान में रखेगी।

महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिए समय अन्तराल 5. प्रयास इस प्रकार किया जाएगा कि निर्वाह भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में रियायत के नकद मूल्य की गणना, न्यूनतम मजदूरी पर कर्मचारियों को भूगतानयोग्य महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिए प्रति वर्ष एक बार प्रथम अप्रैल से पूर्व और फिर प्रथम अक्टूबर से पूर्व की जाएगी।

सामान्य कार्य दिवस के निर्धारण हेतु कार्य घण्टों की संख्या 6. (1) धारा 13 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन सामान्य कार्य दिवस में आठ कार्य घण्टे और विश्राम, जो एक घण्टे से अधिक का नहीं होगा को एक या अधिक अन्तराल शामिल होंगे।

(2) किसी कर्मचारी के कार्य दिवस को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि विश्राम, यदि कोई हो, को शामिल करते हुए किसी भी दिन बारह घण्टे से अधिक नहीं हो।

(3) कृषि रोजगार में नियोजित किसी कर्मचारी के मामले में, उप-नियम (1) तथा (2) के उपबन्ध, ऐसे उपान्तरणों, जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्धारित किए जाए, के अधीन होंगे।

(4) इस नियम की कोई भी बात, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 37) के उपबन्धों को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

विश्राम का साप्ताहिक दिवस 7.(1) इस नियम के उपबन्धों के अधीन, कर्मचारी को प्रत्येक सप्ताह में एक दिन का विश्राम दिया जाएगा (जिसे, इसमें, इसके बाद विश्राम दिवस के रूप में विर्दिष्ट किया गया है), जो सामान्य रूप से रविवार होगा, किन्तु नियोक्ता, किसी कर्मचारी या कर्मचारियों की श्रेणी के लिए विश्राम दिवस के रूप में सप्ताह के किसी अन्य दिन को नियत कर सकता है:

परन्तु कर्मचारी इस उप-नियम के अधीन विश्राम दिवस के रूप में हकदार होगा, यदि उसने कम से कम छह दिवस की निरन्तर अवधि के लिए उसी नियोक्ता के अधीन कार्य किया है:

परन्तु यह और कि कर्मचारी को विश्राम दिवस के रूप नियत दिन और विश्राम दिवस में किसी पश्चात्पूर्वी परिवर्तन की सूचना, परिवर्तन प्रभावित होने से पूर्व इस आशय का नोटिस नियोजन के स्थान पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट स्थान पर प्रदर्शित करते हुए दी जाएगी।

व्याख्या:- इस उप-नियम के प्रथम परन्तु में विनिर्दिष्ट कम से कम छह दिन की निरन्तर अवधि की गणना करने के प्रयोजन हेतु, किसी कर्मचारी को कार्य करने के लिए उपस्थित होने वाले दिन, लेकिन उसे उपस्थिति के लिए केवल भत्ता दिया जाता है और उसे कार्य नहीं दिया जाता है, औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 37) के अधीन प्रतिकर के भुगतान पर किसी कर्मचारी को कार्यबन्दी पर रखने वाले दिन, और विश्राम दिवस से तुरन्त पूर्व छह दिन की अवधि में नियोक्ता द्वारा सवेतन या वेतन रहित प्रदान की गई कोई छूट्टी या अवकाश को उस दिन के रूप में माना जाएगा, जिस दिन कर्मचारी के कार्य किया है।

(2) किसी भी कर्मचारी से तब तक विश्राम दिवस पर कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उसने विश्राम दिवस से तुरन्त पूर्व अथवा बाद में पांच दिन में से किसी एक पूरे दिन का प्रतिस्थापित विश्राम दिवस नहीं लिया है अथवा लेगा:

परन्तु ऐसा कोई भी प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को किसी पूरे दिन के लिए विश्राम दिवस के बिना लगातार दस दिन से अधिक कार्य करना पड़े।

(3) जहाँ इस नियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार, कोई कर्मचारी विश्राम दिवस को कार्य करता है और विश्राम दिवस से पूर्व या बाद में पांच दिन में किसी भी एक दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया जाता है, तो विश्राम दिवस, साप्ताहिक कार्य घण्टों की गणना के प्रयोजन के लिए उस सप्ताह में शामिल किया जाएगा, जिसमें प्रतिस्थापना विश्राम दिवस आया है।

(4) कर्मचारी को-

- (क) विश्राम दिवस के लिए अगले पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर पर संगणित मजदूरी दी जाएगी; तथा
- (ख) जहाँ वह विश्राम दिवस को कार्य करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया है, तो विश्राम दिवस, जिसको उसने कार्य किया है, के लिए सयमोपरि दर पर मजदूरी और प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के लिए आगामी पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा:

परन्तु जहां-

- (i) संहिता के अधीन यथा अधिसूचित कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दर, मजदूरी की न्यूनतम मानसिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई है; अथवा
- (ii) कर्मचारी की मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर, मजदूरी की मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई है और ऐसी मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर, कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक दर से कम नहीं है, तो विश्राम दिवस के लिए किसी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा ; और

- (iii) कर्मचारी ने विश्राम दिवस को कार्य किया है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया है, तब उसे केवल उसी विश्राम दिवस, जिस दिन को उसने कार्य किया है, के लिए समयोपरि दर पर उसे भुगतानयोग्य मजदूरी के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा; और यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार मजदूरी की दैनिक दर निकाली गई है, तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यायिक कल्प प्राधिकारी, इस संबंध में उन्हें किए गए आवेदन पर, संबंधित पक्षकारों को अपने लिखित अभ्यावेदनों के लिए अवसर देने के पश्चात् उसका निर्णय करेगा।

परन्तु यह और कि यदि कोई कर्मचारी मात्रानुपाती दर प्रणाली से शासित होता है, तो विश्राम दिवस, अथवा प्रतिस्थापित विश्राम दिवस, जैसी भी स्थिति हो, के लिए मजदूरी ऐसी होगी, जिसे राज्य सरकार उस रोजगार के संबंध में संहिता के अधीन नियत मजदूरी की न्यूनतम दर को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर, निर्धारित किया जाए।

व्याख्या.— इस उप-नियम में 'आगामी पूर्ववर्ती दिन' से अभिप्राय है, वह अंतिम दिन है, जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है, जो विश्राम दिवस या प्रतिस्थापित विश्राम दिवस, जैसी भी स्थिति हो, से पूर्व आता है; और जहां प्रतिस्थापित विश्राम दिवस, विश्राम दिवस के तुरंत अगले दिन आता है, तब अगला पूर्ववर्ती दिन से अभिप्राय है, वह अंतिम दिन, जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है और जो विश्राम दिवस के पहले था।

(5) इस नियम के उपबन्ध, अधिक अनुकूल शर्तों के प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, नहीं होंगे, जिसके लिए कर्मचारी किसी अन्य विधि के अधीन अथवा किसी पंचाट, अनुबंध अथवा सेवा की संविदा की शर्त के अधीन हकदार हो सकता है, और ऐसे मामले में, कर्मचारी केवल पूर्वकथित अधिक अनुकूल शर्तों का हकदार होगा।

व्याख्या.— इस नियम के प्रयोजनार्थ, ' सप्ताह' से अभिप्राय है, शनिवार रात्रि की अर्ध रात्रि से शुरू होकर सात दिन की अवधि।

रात्रि पाली 8. जहां पर कोई कर्मचारी नियोजन के दौरान पाली में कार्य करता है, जो अर्ध रात्रि के पश्चात् भी चलती है, तब,—

- (क) नियम 7 के प्रयोजनार्थ पूरे दिन के लिए विश्राम दिवस से अभिप्राय है, इस मामले में, उसकी पाली समाप्त होने के समय से शुरू होकर लगातार चौबीस घंटे की अवधि ; और
- (ख) ऐसे मामले में अगला दिन, ऐसी पाली के समाप्त होने के समय से शुरू होकर चौबीस घंटे की अवधि का होगा, और अर्ध रात्रि के बाद के घंटों, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है, के पूर्व दिवस में गिना जाएगा।

धारा 13 की उप-धारा (2) के प्रयोजनार्थ सीमा तथा शर्तें 9. यदि कर्मचारी—

- (क) आपातस्थिति में कार्यरत है, जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता था या उसे रोका नहीं सकता था ;
- (ख) प्रारम्भिक या पूरक प्रकृति के कार्यों में लगा हुआ है, जिसे अनिवार्य रूप से संबंधित रोजगार में सामान्य कार्य के लिए निर्धारित बाहरी सीमाओं पर कराया जाना चाहिए ;
- (ग) जिसका रोजगार अनिवार्य रूप से अनिरंतर है ;
- (घ) ऐसे कार्य में लगा हुआ है, जिसके लिए तकनीकी कारणों से ड्यूटी समाप्त होने से पूर्व किया जाना है; और
- (ङ.) ऐसे कार्य में लगा हुआ है, जिसे प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर कभी-कभी निर्भर होने के सिवाय नहीं किया जा सकता था,

तो तब नियम 6, 7 और 8 के उपबन्ध इस शर्त के अधधीन लागू होंगे कि—

- (i) कर्मचारी के कार्य घंटों का समय—विस्तार किसी भी दिन में सौलह घंटों से अधिक नहीं होगा; और
- (ii) विश्राम के अंतराल को निकालते हुए वास्तविक कार्य घंटे और निष्क्रियता की अवधि, जिसके दौरान कर्मचारी ड्यूटी पर हो सकता है, लेकिन उससे शारीरिक गतिविधि करने या नियमित उपस्थिति के लिए नहीं कहा जाता है, किसी भी दिन में नौ घंटे से अधिक नहीं होगी।

लम्बी मजदूरी अवधि 10. धारा 14 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के प्रयोजनार्थ लम्बी मजदूरी अवधि एक मास होगी।

धारा 10 के परन्तुक के खण्ड (ii) के अधीन परिस्थितियां 11. कोई भी कर्मचारी, धारा 10 के अधीन पूर्ण सामान्य कार्य दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा यदि वह तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी मजदूरी का हकदार नहीं है।

अध्याय 3

मजदूरी का भुगतान

धारा 18 की उप-धारा (4) के अधीन वसूली 12. जहां धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकृत कुल कटौतियां, कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक हैं, तो अधिकता को अग्रेनीत किया जाएगा और उत्तरवर्ती मजदूरी अवधि या अवधियों, जैसी भी स्थिति हो, से ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी ताकि किसी भी मास में वसूली उस मास में कर्मचारी की मजदूरी से पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकारी की नियुक्ति 13. सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त, धारा 19 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थविहित प्राधिकारी होगा।

धारा 19 की उप-धारा (2) के अधीन नोटिस प्रदर्शित करने की रीति 14. धारा 19 की उप-धारा (2) में

निर्दिष्ट नोटिस को कार्य स्थल के परिसर में, जहां पर रोजगार किया जाता है, प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी नोटिस की विषय-वस्तु को आसानी से पढ़ सके और नोटिस की एक प्रति क्षेत्राधिकार रखने वाले उस क्षेत्र के निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को भी भेजी जाएगी।

धारा 19 की उप-धारा (3) के अधीन प्रक्रिया 15. नियोक्ता, उपरोक्त नियम 13 में निर्दिष्ट प्राधिकारी को जुर्माना लगाने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उसमें विस्तृत विवरण विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित रूप में सूचना देगा, जो स्वीकृति को प्रदान या इंकार करने से पहले संबंधित कर्मचारी और नियोक्ता को सुनने का अवसर प्रदान करेगा।

कटौती की सूचना 16.(1) जहां नियोक्ता धारा 20 की उप-धारा (2) के उपबन्ध के अनुसरण में कोई कटौती करता है, तब वह ऐसी कटौती की सूचना ऐसी कटौती के कारण स्पष्ट करते हुए ऐसी कटौती की तिथि से दस दिन के भीतर अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को देगा।

(2) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, उप-नियम (1) के अधीन ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात्, ऐसी सूचना की जांच करेगा और यदि वह यह पाता है कि उसमें दिए गया स्पष्टीकरण, संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियम के उपबन्धों के उल्लंघन में है, तो वह नियोक्ता को अवैध कटौती करने बारे नोटिस जारी करेगा और नोटिस की अनुपालना करने का निर्देश देगा, अनुपालना नहीं करने के मामले में, वह नियोक्ता को अवसर प्रदान करने के बाद उसके विरुद्ध संहिता के अधीन उचित कार्रवाई प्रारम्भ करेगा।

धारा 21 की उप-धारा (2) के अधीन कटौती की प्रक्रिया 17. यदि कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी के वेतन से धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन नुकसान अथवा हानि के लिए कटौती करना चाहता है, तो वह प्ररूप 1 में,—

- (i) कर्मचारी को विशिष्ट रूप में उसकी अभिरक्षा के लिए उसे सौंपें गए सामान के नुकसान अथवा हानि अथवा धन के नुकसान के लिए, जिसके लिए वह उत्तरदायी है तथा किस प्रकार से ऐसे नुकसान अथवा हानि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उस कर्मचारी की उदासीनता अथवा चुक उत्तरदायी है, के बारे में व्यक्तिगत रूप से तथा लिखित में कर्मचारी को स्पष्ट करेगा ; और
- (ii) तत्पश्चात्, कर्मचारी को स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा तथा किसी नुकसान अथवा हानि के लिए, यदि कोई कटौती की जाती है, तो ऐसी कटौती करने की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

धारा 23 के अधीन अग्रिम वसूली के संबंध में शर्तें 18.

- (i) धारा 23 के खण्ड (ख) के अधीन नियोजन प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी कर्मचारी को दिए गए

अग्रिम धन की वसूली ; अथवा

(ii) किसी कर्मचारी को मजदूरी का अग्रिम, जो उसने धारा 23 के खण्ड (ग) के अधीन अर्जित नहीं किया है, की वसूली, जैसी भी स्थिति हो, नियोक्ता द्वारा निर्धारित किश्तों में संबंधित कर्मचारी की मजदूरी में से नियोक्ता द्वारा की जाएगी, ताकि कोई एक किश्त अथवा सभी किश्तें उस मजदूरी अवधि में कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी तथा ऐसी वसूली का विवरण प्ररूप –। में रखे रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

धारा 24 के अधीन ऋण की वसूली की काटौती 19.राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रदान किए गए ऋणों और उन पर देय ब्याज की वसूली हेतु कटौतियां, ऐसे ऋणों को प्रदान करने की सीमा तथा इन पर भुगतानयोग्य ब्याज दर को विनियमित करने वाले समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निदेश अथवा जारी परिपत्र के अध्याधीन होंगी।

ध्याय 4

बोनस का भुगतान

धारा 26 के अधीन छठे लेखा वर्ष को चालू अथवा बन्द करने की गणना

20. छठे लेखा वर्ष को चालू या बन्द, जैसा भी स्थिति हो, करने की गणना, धारा 26 की उप-धारा (7) के खण्ड (प) के अधीन अनुसूची 'क' में वर्णित रीति में पांचवे तथा छठे लेखा वर्ष के चालू या बन्द होने से संबंधित आबंटनयोग्य सरप्लस की अधिकता अथवा कमी, यदि कोई हो, जैसी भी स्थिति हो, को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

सातवें लेखा वर्ष को चालू या बन्द करने की गणना

21. सातवें लेखा वर्ष को चालू या बन्द, जैसी भी स्थिति हो, करने की गणना, धारा 26 की उप-धारा (7) के खण्ड (पप) के अधीन अनुसूची 'क' में वर्णित रीति में पांचवे, छठे और सातवें लेखा वर्ष के चालू या बन्द होने से संबंधित आबंटनयोग्य सरप्लस की अधिकता अथवा कमी, यदि कोई हो, जैसी भी स्थिति हो, को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

धारा 32 के खण्ड (क) के अधीन सकल लाभों की संगणना

22. किसी नियोक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठान से लेखा वर्ष के संबंध में प्राप्त किए गए सकल लाभों की संगणना बैंकिंग कम्पनी के मामले में अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट रीति में की जाएगी।

धारा 32 के खण्ड (क) के अधीन सकल लाभों की संगणना

23. किसी नियोक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठान से लेखा वर्ष के संबंध में प्राप्त किए गए सकल लाभों की संगणना बैंकिंग कम्पनी से भिन्न मामले में अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट रीति में की जाएगी।

धारा 34 के खण्ड (ग) के अधीन अतिरिक्त राशियों की कटौती

24. नियोक्ता के संबंध में अनुसूची 'घ' में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त राशियों की कटौती, धारा 34 के खण्ड (ग) के अधीन पूर्व प्रभारों के रूप में सकल लाभ से की जाएगी।

धारा 36 की उप-धारा (1) के अधीन अग्रनयन करने की रीति

25. किसी लेखा वर्ष में, जहां आबंटनयोग्य सरप्लस, धारा 26 के अधीन प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को भुगतानयोग्य अधिकतम बोनस की राशि से अधिक हो जाता है, तो अधिक राशि, उस लेखा वर्ष में प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों के कुल वेतन अथवा मजदूरी के बीस प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन, को आगामी लेखा वर्ष में सेट ऑन करने के लिए अग्रनीत किया जाएगा और इस प्रकार तथा समावेशी चौथे लेखा वर्ष तक अनुसूची 'क' में वर्णित रीति में बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाई जाएगी।

धारा 36 की उप-धारा (2) के अधीन अग्रनयन करने की रीति

26. जहां किसी लेखा वर्ष में, कोई सरप्लस उपलब्ध नहीं है अथवा उस वर्ष में आबंटनयोग्य

सरप्लस, धारा 26 के अधीन प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को भुगतानयोग्य न्यूनतम बोनस की राशि से कम पड़ता है, तथा नियम 25 के अधीन अग्रणीत कोई राशि अथवा पर्याप्त राशि नहीं है तथा सेट ऑन नहीं है, जिसे न्यूनतम बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जा सकता है, तो वहां, ऐसी न्यूनतम राशि अथवा कमी, जैसी भी स्थिति हो, को आगामी लेखा वर्ष में सेट ऑन करने के लिए अग्रणीत किया जाएगा और इस प्रकार तथा समावेशी चौथे लेखा वर्ष तक अनुसूची 'क' में वर्णित रीति में बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाई जाएगी।

अध्याय 5

हरियाणा राज्य सलाहकार बोर्ड तथा अन्य समितियों के गठन की प्रक्रिया
धारा 42 की उप-धारा 4 तथा 6 के अधीन हरियाणा राज्य सलाहकार बोर्ड तथा अन्य समितियों

27. (1) राज्य सरकार के प्रतिनिधि :-

हरियाणा राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर होगा,—

(क) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग	अध्यक्ष
(ख) श्रम आयुक्त, हरियाणा	सदस्य सचिव
(ग) विशेष सचिव/सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग	सदस्य
(घ) आर्थिक एवं सांख्यायिक सलाहकार, हरियाणा	सदस्य
(ङ) महानिदेशक/निदेशक, रोजगार विभाग, हरियाणा	सदस्य
(च) मजदूरी निर्धारण में राज्य सरकार द्वारा मनोनित एक तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य

(2) सभी आधिकारिक सदस्यों को स्वतन्त्र व्यक्तियों के रूप में समझा जाएगा।

(3) नियोक्ताओं को प्रतिनिधि।

(4) कर्मचारियों को प्रतिनिधि:

परन्तु नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या छह से अधिक नहीं होगी और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर होगी:

परन्तु यह और कि बोर्ड के एक तिहाई सदस्या महिलाएं होंगी।

(5) बोर्ड, धारा 42 की उप-धारा (5) के अधीन समितियों और उप-समितियों का गठन कर सकता है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेंगी, —

(क) नियोक्ताओं के प्रतिनिधि ;

(ख) कर्मचारियों के प्रतिनिधि, जो खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या के बराबर होंगे ;

तथा

(ग) स्वतन्त्र व्यक्ति, जो समिति या उप-समिति, जैसी भी स्थिति हो, के कुल सदस्यों से एक तिहाई से अधिक न हों :

परन्तु समिति या उप-समिति के एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी और बोर्ड द्वारा खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक को समिति या उप-समिति, जैसी भी स्थिति हो, के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

बोर्ड के अतिरिक्त कार्य

28. धारा 42 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त, यह बोर्ड, राज्य सरकार के संदर्भ पर, राज्य सरकार को निम्नलिखित के संबंध में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देगा, —

- (i) श्रमजीवी पत्रकार और समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित श्रमजीवी पत्रकारों ; और
- (ii) विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तों) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 11) की धारा 2 के खण्ड (घ) में यथा परिभाषित विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी।

बोर्ड की बैठक

29. अध्यक्ष, नियम 31 के उपबंधों के अधधीन, किसी भी समय जब वह उचित समझे, बोर्ड की बैठक बुला सकता है :

परन्तु न्यूनतम आधे सदस्यों की लिखित मांग प्राप्त होने पर, अध्यक्ष ऐसी मांग प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन के भीतर बैठक बुलाएगा।

बैठक का नोटिस

30. अध्यक्ष, प्रत्येक बैठक की तिथि, समय तथा स्थान का निर्धारण करेगा तथा उक्त व्यौरों को शामिल करते हुए बैठक में किए जाने वाले कार्य संचालन की सूची के साथ लिखित नोटिस, ऐसी बैठक की नियत तिथि से कम-से-कम पन्द्रह दिन पहले पंजीकृत डाक और इलक्ट्रॉनिक ढंग से प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा :

परन्तु आकस्मिक बैठक के मामले में, प्रत्येक सदस्य को केवल सात दिन का नोटिस भी दिया जा सकता है।

अध्यक्ष के कार्य

31. अध्यक्ष,—

- (i) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परन्तु किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य, अपने में से उस बैठक की अध्यक्षता करने हेतु मतों के बहुमत से सदस्य का चुनाव करेंगे ;

- (ii) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का निर्धारण करेगा ;
- (iii) जहां बोर्ड की बैठक में, यदि कोई मुद्दा मतदान द्वारा निर्णीत किया जाना है, तो मतदान कराएगा तथा बैठक में गुप्त मतदान की गणना करेगा अथवा करवाएगा।

गणपूर्ति

32. किसी भी बैठक में तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा जब तक न्यूनतम एक—तिहाई सदस्य तथा नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों का न्यूनतम एक प्रतिनिधि उपस्थिति नहीं हो :

परन्तु यदि किसी बैठक में एक—तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित हैं, तो अध्यक्ष, उस बैठक को मूल बैठक की तिथि से अधिकतम सात दिन के लिए स्थगित कर सकता है तथा उपस्थित सदस्यों की संख्या पर विचार किए बिना ऐसी स्थगित बैठक में कार्य का निपटान वैध हो जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसी स्थगित बैठक की तिथि, समय और स्थान सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से अथवा पंजीकृत डाक से सूचित किया जाएगा।

बोर्ड के कार्य का निपटान

33. बोर्ड के सभी कार्यों पर बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा तथा उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाएगा तथा बराबर मत होने पर, अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा :

परन्तु अध्यक्ष, यदि उचित समझें, तो निदेश दे सकता है कि किसी मामले के संबंध में निर्णय आवश्यक दस्तावेजों के परिचालन तथा सदस्यों का लिखित मत प्राप्त करके किया जाएगा :

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन किसी मामले में कोई भी निर्णय तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक न्यूनतम दो—तिहाई सदस्य इसका समर्थन न करें।

मतदान का ढंग

34. बोर्ड में मतदान सामान्यतः हाथ उठाकर करवाया जाएगा, किन्तु यदि कोई सदस्य बैलेट द्वारा मतदान की मांग करता है, अथवा यदि अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेते हैं, तो अध्यक्ष द्वारा मतदान गुप्त बैलेट से यथा निर्धारित रीति में करवाया जाएगा।

बैठकों कार्यवाहियां

35.(1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां, जिनमें अन्य बातों के साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के

नाम दर्शाते हुए, बैठक के तुरन्त बाद, और किसी भी मामले में अगली बैठक से सात दिन पहले यथा सम्भव प्रत्येक सदस्य तथा राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएंगी।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां, अगली बैठक में आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों, यदि कोई हों, के साथ पुष्टि की जाएंगी।

गवाहों को सम्मन करना और दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण

36.(1) अध्यक्ष, यदि अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अपेक्षित हो, तो किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में उपस्थित होने तथा किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सम्मन कर सकता है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे सम्मन जारी किया जाता है तथा जो बोर्ड के समक्ष गवाह के रूप में उपस्थित होता है, तो वह अपने द्वारा किए गए खर्च के लिए किसी सिविल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले गवाहों को ऐसे भत्ते के भुगतान के लिए उस समय लागू स्केल के अनुसार भत्तों के लिए हकदार होगा।

समितियों का गठन

37. राज्य सरकार, धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन इस खण्ड में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जितनी यह आवश्यक समझें उतनी समितियां गठित कर सकती है।

बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल

38. (1) अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य का कार्यकाल, जैसी भी स्थिति हो, धारा 42 की उप-धारा (1) के अधीन उसकी नियुक्ति अथवा नामांकन, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि के प्रारंभ से सामान्यतः दो वर्ष होगा:

परन्तु ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य, दो वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति होते हुए भी, अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति अथवा नामांकन, जैसी भी स्थिति हो, होने तक पद पर बने रहेंगे।

(2) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामित बोर्ड का सदस्य, जिसके स्थान पर, उसको नामित किया गया है, उस सदस्य के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा।

(3) बोर्ड के शासकीय सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उन्हें अन्य शासकीय सदस्य द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता :

(4) उप-नियम (1), (2) तथा (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के सदस्य, राज्य सरकार के सादरपर्यन्त पद धारण करेंगे।

यात्रा भत्ता

39. बोर्ड का अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, राज्य सरकार के किसी ग्रुप क अधिकारी को लागू दर पर तथा शर्तों के अधीन अपने कर्तव्यों के संबंध में उसके द्वारा की गई किसी यात्रा के लिए यात्रा तथा

पड़ाव भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होगा।

अधिकारी तथा अमला

40. राज्य सरकार, बोर्ड के कार्य संचालन के लिए बोर्ड की समिति के लिए सचिव (जो श्रम विभाग के ग्रुप क अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो), अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों, जो वह आवश्यक समझें, नियुक्त कर सकती है।

बोर्ड के सदस्यों के पुनर्नामांकन हेतु पात्रता

41. निवर्तमान सदस्य, बोर्ड की सदस्यता के लिए कुल दो कार्यकाल अवधि से अनधिक के लिए पुनर्नामांकन हेतु पात्र होगा।

बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का त्यागपत्र

42. (1) बोर्ड का कोई भी सदस्य, अध्यक्ष से भिन्न, अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देते हुए अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है और अध्यक्ष राज्य सरकार को पत्र लिख कर त्यागपत्र दे सकता है।

(2) त्यागपत्र, इसकी स्वीकृति की सूचना की तिथि से अथवा त्यागपत्र की तिथि से तीस दिन की समाप्ति, जो भी पहले हो, से प्रभावी होगा।

(3) जब बोर्ड में कोई रिक्ति होती है अथवा सदस्यता में रिक्ति होने की संभावना होती है, तो अध्यक्ष, तत्काल इसकी सूचना राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार संहिता के उपबन्धों के अनुसार रिक्ति को भरने के लिए उपाय करेगी।

सदस्यता का समाप्त होना

43. यदि बोर्ड का कोई सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना, तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

अयोग्यताएं

44. (1) कोई भी व्यक्ति, निम्नलिखित कारणों से बोर्ड का सदस्य बनने और सदस्य के रूप में नामित होने के लिए अयोग्य हो जाएगा,—

- (i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित घोषित कर दिया जाता है ; अथवा
- (ii) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है ; अथवा
- (iii) यदि संहिता के प्रारम्भ होने से पहले अथवा बाद में, उसे नैतिक अधमता के अपराध का दोषी ठहराया गया है।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या अयोग्यता उप-नियम (1) के अधीन हुई है, तो इस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय —6

बकायों, दावों इत्यादि का भुगतान

धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन भुगतान

45. जहां संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को भुगतानयोग्य कोई राशि, उसकी मृत्यु के बाद अथवा उसके ठिकाने का पता न होने के कारण बकाया है और भुगतान राशि के देय होने की तिथि से तीन मास की

समाप्ति तक कर्मचारी के मनोन्नित को राशि भुगतान नहीं की जा सकती, तो ऐसी राशि संहिता की धारा 45 की उप-धारा (1)के अधीन नियुक्त अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के पास जमा करवाई जाएगी, जो ऐसी तिथि, जिसको इसके पास इस प्रकार राशि जमा करवाई गई है, से दो मास के भीतर कर्मचारी द्वारा मनोन्नित व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के बाद उसे राशि का वितरण करेगा।

धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवितरीत बकाया जमा करना

46.(1) जहां इस संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को भुगतानयोग्य कोई राशि या तो ऐसे कर्मचारी द्वारा नामांकन नहीं करने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अवितरीत रह जाती है, तो ऐसी राशि, भुगतानयोग्य राशि के देय होने की तिथि से छह मास की समाप्ति तक कर्मचारी के किसी मनोन्नित को भुगतान नहीं की जा सकती, तो ऐसी सभी राशियां, संहिता की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के पास उक्त छह मास की अवधि की समाप्ति के अंतिम दिन के बाद पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व जमा करवाई जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट राशि, नियोक्ता द्वारा बैंक अंतरण के माध्यम से या संबंधित प्राधिकारी के पक्ष में भारत में किसी अधिसूचित बैंक से प्राप्त क्रोस डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करवाई जाएगी।

धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवितरीत बकायों के निपटान की रीति

47. (1) धारा 46 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी के पास नियोक्ता द्वारा जमा करवाई गई, नियम 48 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट राशि, प्राधिकारी के पास रहेगी और उसे केन्द्र अथवा

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाएगा अथवा किसी अनुसूचित बैंक सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा।

(2) संबंधित प्राधिकारी, राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, यथासंभव शीघ्रता से, नोटिस बोर्ड पर कम से कम पन्द्रह दिन के लिए राशि के संबंध में ऐसे विवरण, जो सूचना के लिए प्राप्त समझे जाए, देते हुए नोटिस प्रदर्शित करेगा और उस क्षेत्र, जिसमें अवितरित मजदूरी कमाई गई है, में सामान्य रूप से समझी जाने वाली भाषा में प्रचार के लिए किन्हीं दो सामाचार पत्रों में ऐसे नोटिस का प्रकाशन भी करवाएगा।

(3) उप-नियम (2) के उपबन्ध के अधधीन, ऐसा प्राधिकारी, नामित व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति को जारी करेगा, जिसने उस राशि का दावा किया है, जैसी भी स्थिति हो, जिसके पक्ष में प्राधिकारी द्वारा, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् राशि का भुगतान करने का निर्णय किया गया है और इस संबंध में विस्तृत सूचना राज्य सरकार को भेजेगा।

(4) यदि अवितरित राशि के संबंध में सात वर्ष की अवधि के दौरान कोई दावा नहीं किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी उसे हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के खाता में अंतरित करेगा।

अध्याय -7

दावा मामलों और अपीलों की प्रक्रिया

एकल आवेदन का प्ररूप-

48. एकल आवेदन, प्ररूप -II में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित उसी प्ररूप में धारा 45 की उप-धारा (5) के अधीन दोहरी प्रति में दायर किया जा सकता है, जिसकी एक प्रति के साथ ऐसी न्यायालय फीस लगाई जाएगी, जो विहित की जाए।

प्राधिकार

49. धारा 45 के अधीन किसी कर्मचारी के निमित्त कार्य करने हेतु प्राधिकार, प्ररूप-VIII में दिया जाएगा, और आवेदन के साथ प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और रिकार्ड का भाग रूप होगा।

उपस्थित होने की अनुमति

50. किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के निमित्त कार्य करने के लिए प्राधिकारी की अनुमति चाहना वाला कोई व्यक्ति, मामले में अपने हित को दर्शाते हुए संक्षिप्त लिखित कथन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और प्राधिकारी, मामलों के इनकार के लिए कथन पर आदेश लिपिबद्ध करेगा और रिकार्ड में रखेगा।

दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण

51.(1) आवेदन या आवेदन से सुसंगत अन्य दस्तावेज, कार्यदिवस के दौरान किसी भी समय पर प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्राधिकारी को भेजे

जा सकते हैं।

(2) प्राधिकारी प्रत्येक दस्तावेज पर प्रस्तुतीकरण अथवा प्राप्ति, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि तुरन्त पृष्ठांकित करेगा अथवा पृष्ठांकित करवाएगा।

आवेदन ग्रहण करने से इनकार करना

52.(1) प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उसकी संतुष्टि हो जाती है, तो निम्नलिखित कारणों को लिपिबद्ध करते हुए नियम 51 के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को ग्रहण करने से इनकार कर सकता है,—

- (क) कि आवेदक, आवेदन प्रस्तुत करने के लिए हकदार नहीं है ; या
- (ख) धारा 45 की उप-धारा (6) के उपबन्धों द्वारा आवेदक को वर्जित किया गया है ; या
- (ग) आवेदक द्वारा धारा 45 के अधीन निर्देश करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है।

(2) प्राधिकारी उस आवेदन को ग्रहण करने से इनकार कर सकता है, जिसके साथ पर्याप्त स्टॉम्प नहीं लगाई गई है अथवा अन्यथा से अधूरा है और, यदि वह इस प्रकार इनकार करता है, तो उसे त्रुटियां दर्शाते हुए तुरन्त वापिस करेगा। यदि उपरोक्त त्रुटियां दूर करने के बाद, आवेदन दौबारा प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रस्तुत करने की तिथि को धारा 45 की उप-धारा (6) के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत करने की तिथि समझा जाएगा।

पक्षकारों की उपस्थिति

53. (1) यदि आवेदन को ग्रहण किया जाता है, तो प्राधिकारी, नियोक्ता को विनिर्दिष्ट तिथि को सभी सुसंगत दस्तावेजों तथा गवाहों, यदि कोई हों, के साथ उसके सम्मुख उपस्थित होने के लिए प्ररूप -IX में नोटिस देते हुए उसे बुलाएगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट तिथि के बारे में आवेदक को भी सूचित करेगा।

(2) यदि नियोक्ता या उसका प्रतिनिधि विनिर्दिष्ट तिथि को उपस्थित होने में असफल रहता है, तो प्राधिकारी सुनवाई कर सकता है और आवेदन को एकपक्षीय निर्धारित कर सकता है।

(3) यदि आवेदक विनिर्दिष्ट तिथि को उपस्थित होने में असफल रहता है, तो प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर सकता है :

परन्तु उप-नियम (2) तथा (3) के अधीन पारित किसी आदेश को अपास्त किया जा सकता है और उक्त आदेश की तिथि से एक मास के भीतर उपयुक्त कारण दर्शाने पर आवेदन पर सुनवाई के लिए नियत तिथि के बारे में विरोधी पक्षकार को नोटिस तामिल करते हुए पुनः सुनवाई की जा सकती है।

कार्यवाहियों का रिकार्ड

54.(1) प्राधिकारी प्ररूप 8 में सभी मामलों के विवरण दर्ज करेगा और आदेश पारित करते समय प्ररूप पर तिथि सहित हस्ताक्षर करेगा।

(2) उस मामले में जहां कोई अपील की जानी नहीं बनती है, तो उसे रिकार्ड में रखना आवश्यक नहीं होगा।

(3) उस मामले में, जहां कोई अपील की जानी बनती है, तो प्राधिकारी साक्ष्य का सार लिपिबद्ध करेगा और इसे हस्ताक्षराधीन आदेश या निर्देश रिकार्ड के साथ संलग्न करेगा।

प्ररूपों पर हस्ताक्षर

55. कोई प्ररूप, जो इन नियमों द्वारा प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है, तो उस द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा अथवा इस प्रयोजन के लिए उसके निर्देशाधीन और उस द्वारा नियुक्त उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उसके निमित्त हस्ताक्षरित किया जाएगा।

शक्तियों का प्रयोग करना

56. धारा 45 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त किसी सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकारी, तथा अपील प्राधिकारी ऐसे परिवर्तनों सहित, जो प्राधिकारी आवश्यक समझे और जहां अधिनियम और नियमों के उपबन्धों की अभिव्यक्ति के विरोध में है, को छोड़कर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की प्रथम अनुसूची के सुसंगत आदेशों द्वारा प्रक्रिया के संबंध में निर्देशित होगा।

अपील 57.

(1) धारा 45 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अधिकारिता रखने वाले अपील प्राधिकारी को प्ररूप-प् में और प्ररूप में अपीलकर्ता द्वारा वर्णित दस्तावेजों सहित धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन अपील दायर कर सकता है।

(2) अपील, धारा 45 की उप-धारा (4) के अधीन किए गए आवेदन पर आदेश के संबंध में आक्षेपों के आधार स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए ज्ञापन के रूप में दोहरी प्रति में दायर की जाएगी, जिसकी एक प्रति पर न्यायालय फीस लगाई जाएगी और उक्त आदेश या निर्देश की प्रमाणित प्रति भी साथ लगाई जाएगी।

(3) जब अपील दर्ज की जाती है, तो प्ररूप-xi में प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा।

(4) अपील प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनने के बाद और ऐसी आगे जांच, यदि कोई हो, जो यह आवश्यक समझें, करने के बाद, उस आदेश अथवा निर्देश को पुष्ट कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है या अपास्त कर सकता है, जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है और तदनुसार आदेश करेगा।

आदेश और निर्देश किए जाने

58. प्राधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, मामले की सुनवाई के बाद या तो तुरन्त या उसके बाद जहां तक यथा संभव यथाशीघ्र से आने वाली तिथि को आदेश या निर्देश करेगा ; और जब आदेश और निर्देश आने वाली किसी तिथि को किया जाता है, तो इस प्रयोजन के लिए तिथि नियत करेगा और जिसका सम्यक् नोटिस पक्षकारों अथवा उनके प्लीडरों को देगा।

दस्तावेजों का निरीक्षण

59. कोई कर्मचारी या कोई नियोक्ता या उसका प्रतिनिधि या निर्देश के लिए आवेदन करने हेतु धारा 45 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमत कोई व्यक्ति, किसी मामले, जिसमें वह पक्षकार है और ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के भुगतान पर उनकी प्रतियां प्राप्त कर सकता है, प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के पास दायर किए गए किसी आवेदन अपील के ज्ञापन और किन्हीं अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए हकदार होगा।

लागत

60. (1) प्राधिकारी अथवा अपील प्राधिकरण लिपिबद्ध किए जाने वाले कारणों हेतु, निर्देश दे सकता है कि इसके सम्मुख लम्बित किसी कार्यवाही की लागत विषय का पालन नहीं करेगी:

परन्तु उक्त लागत जिला विधिक प्राधिकरण के पास जमा करवाई जाएगी और इस प्रभाव की रसीद, प्राधिकारी के पास जमाकर्ता द्वारा रिकार्ड फाइल में प्रस्तुत की जाएगी।

(2) लगाई गई लागत में निम्नलिखित शामिल होगा,—

- (i) न्यायालय फीस के कारण उपगत खर्च ;
- (ii) गवाह के लिए निर्वाह धनराशि पर उपगत खर्च ; और
- (iii) एक हजार रूपए तक अधिवक्ता फीस बशर्ते कि प्राधिकारी किसी कार्यवाही में अभिलिखित कारणों से पांच सौ रूपए से अनधिक तक फीस कम कर सकता है अथवा पांच हजार रूपए तक फीस में वृद्धि कर सकता है :

परन्तु जहां एक से अधिक अधिवक्ता या एक से अधिक आवेदक या विरोधीकर्ता हैं, तो प्राधिकारी, उपरोक्त शर्त के अध्यधीन सफल पक्षकार या पक्षकारों के लिए ऐसी लागत प्रदान कर सकता है, जो यह उचित समझें :

परन्तु यह और कि प्राधिकारी, यदि इसकी राय में आवेदक गरीब है, तो ऐसी फीस के भुगतान से पूर्णतः या भागतः उसे छूट दे सकता है।

न्यायालय फीस

61. धारा 45 की उप-धारा (2) के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में भुगतानयोग्य न्यायालय फीस

निम्नानुसार होगी :-

- (i) प्रत्येक आवेदन हेतु – गवाह और प्रत्येक गवाह को सम्मन करने के संबंध में पच्चीस रूपए;
- (ii) प्रत्येक आवेदन हेतु— वैयक्तिक द्वारा या उसके निमित्त दस रूपए :

परन्तु प्राधिकारी, यदि इसकी राय में आवेदक गरीब है, तो ऐसी फीस के भुगतान से पूर्णतः या भागतः उसे छूट दे सकता है :

परन्तु यह और कि निरीक्षक—सह—सुविधाप्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के संबंध में कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी।

अध्याय 8 प्ररूप, रजिस्टर और मजदूरी पर्ची

रजिस्टर का प्ररूप

62.(1) धारा 19 की उप-धारा (8) में निर्दिष्ट सभी जुर्माने और उनकी वसूलियां, नियोक्ता द्वारा रखे गए रजिस्टर में इलक्ट्रॉनिक ढंग से अथवा अन्यथा से प्ररूप – I में दर्ज की जाएंगी।

(2) धारा 21 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट सभी कटौतियां और उनकी वसूलियां, नियोक्ता द्वारा रखे गए रजिस्टर में इलक्ट्रॉनिक ढंग से अथवा अन्यथा से प्ररूप –I में दर्ज की जाएंगी।

(3) प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता, जिसे संहिता लागू है, धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन इलक्ट्रॉनिक ढंग से अथवा अन्यथा से प्ररूप-I, प्ररूप-III और प्ररूप-VII में रजिस्टर रखेगा:

परन्तु जहां कोई प्रतिष्ठान स्थायी रूप से बन्द हो गया है, तो निरीक्षक सह—सुविधाप्रदाता, अपने कार्यालय या ऐसे अन्य स्थान पर, जो नियोक्ता के नजदीक हो, रजिस्टर और रिकार्ड प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।

मजदूरी पर्ची

63. प्रत्येक नियोक्ता, मजदूरी के भुगतान से एक दिन पूर्व धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन कर्मचारियों को इलक्ट्रॉनिक ढंग से अथवा अन्यथा से प्ररूप –V में मजदूरी पर्ची जारी करेगा।

धारा 53 की उप-धारा (1) के अधीन जांच करने की रीति 64.(1) जब धारा 53 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी (जिसे, इसमें, इसके बाद संबंधित अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के सम्मुख या तो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किसी संबंधित अधिकारी द्वारा या व्यथित किसी कर्मचारी द्वारा या व्यापार संघ अधिनियम 1926/औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अधीन पंजीकृत किसी ट्रेड यूनियन द्वारा या निरीक्षक—सह—सुविधाप्रदाता द्वारा उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में कोई अपील दायर की जाती है, तो शिकायतकर्ता द्वारा उसके सम्मुख प्रस्तुत किए गए ऐसे साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, संबंधित अधिकारी की राय है कि अपराध किया गया है, तो

वह अपराधी को उपस्थित होने के लिए तिथि नियत करते हुए शिकायत में विनिर्दिष्ट उसके पते पर सम्मन जारी करेगा।

(2) यदि अपराधी, जिसको उप-नियम (1) के अधीन सम्मन जारी किया गया है, संबंधित अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होता है या प्रस्तुत किया जाता है, तो वह अपराधी को उसके विरुद्ध शिकायत किए गए अपराध के बारे में स्पष्ट करेगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार करता है, तो अधिकारी, संहिता के उपबन्धों के अनुसार उस पर शास्ति अधिरोपित करेगा और जब अपराधी दोष स्वीकार नहीं करता है, तो अधिकारी, शपथ पर शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाहों के साक्ष्य लेगा और इस प्रकार प्रस्तुत किए गए गवाहों की प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। संबंधित अधिकारी, शपथ पर गवाहों के कथन और लिखित में प्रतिपरीक्षा का रिकार्ड करेगा और दस्तावेजी साक्ष्य को रिकार्ड में लेगा।

(3) संबंधित अधिकारी, शिकायतकर्ता के साक्ष्य पूर्ण होने के बाद, अपराधी व्यक्ति को बचाव का अवसर प्रदान करेगा और अपराधी द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाहों की शिकायतकर्ता द्वारा शपथ पर उसके कथन के बाद प्रतिपरीक्षा करेगा और संबंधित अधिकारी बचाव में दस्तावेजी साक्ष्य को रिकार्ड में लेगा।

(4) संबंधित अधिकारी, पक्षकारों को सुनने और मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, संहिता के उपबन्धों के अनुसार शिकायत का निर्णय करेगा।

धारा 56 की उप-धारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने की रीति

65.(1) धारा 56 की उप-धारा (1) के अधीन अपराध का प्रशमन करने का इच्छुक कोई अपराधी व्यक्ति, धारा 56 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी को इलक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा से प्ररूप-VI में आवेदन कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी, ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर स्वयं की संतुष्टि करेगा कि संहिता के अधीन अपराध प्रशमनयोग्य है या नहीं और यदि अपराध प्रशमनयोग्य है और अपराधी व्यक्ति प्रशमन के लिए सहमत है, तो ऐसा अधिकारी, संहिता के अधीन ऐसे अपराध के लिए उपबंधित ऐसे जुर्माने की पचास प्रतिशत धनराशि के लिए अपराध का समझौता करवाएगा, उक्त धनराशि जारी प्रशमन आदेश में भी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपराधी द्वारा भुगतान की जाएगी।

(3) जहां अभियोजन के संस्थित होने के बाद, अपराध के संबंध में उप-नियम (2) के अधीन समझौता किया गया है, तो अधिकारी उस द्वारा किए गए ऐसे आदेश की प्रति धारा 56 की उप-धारा (6) के अधीन आवश्यक कार्यवाही करने हेतु धारा 53 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी को भेजेगा।

अध्याय— 9 विविध

मजदूरी का समय पर भुगतान

66. जहां कर्मचारी, ठेकेदार के माध्यम से प्रतिष्ठान में नियोजित हैं, तो कंपनी या फर्म या संगठन

या कोई अन्य व्यक्ति, जो प्रतिष्ठान का स्वामी है, तो मजदूरी के भुगतान की तिथि से पूर्व उसे या इसे, जैसी भी स्थिति हो, भुगतानयोग्य राशि का भुगतान ठेकेदार को करेगा ताकि कर्मचारियों की मजदूरी का भुगतान, संहिता की धारा 17 के उपबन्धों के अनुसार सकारात्मक रूप से किया जाएगा।

व्याख्या.— इस नियम के प्रयोजनार्थ “फर्म” अभिव्यक्ति का अर्थ वहीं होगा, जो उसे भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का केन्द्रीय अधिनियम 9) में दिया गया है।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तकनीकी समिति

67. राज्य सरकार, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य सामाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 9 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित श्रमजीवी पत्रकारों के लिए संहिता के अधीन न्यूनतम मजदूरी नियत करने के प्रयोजन हेतु, राज्य सरकार को ऐसे नियतन के संबंध में सिफारिश करने के लिए धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन तकनीकी सलाहकार समिति का गठन कर सकती है।

न्यूनतम बोनस के भुगतान हेतु उत्तरदायित्व

68. जहां किसी प्रतिष्ठान में, कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हैं और ठेकेदार संहिता की धारा 26 के अधीन उन्हें न्यूनतम बोनस का भुगतान करने में असफल रहता है, तो संहिता की धारा 43 के परन्तुक में यथा निर्दिष्ट कंपनी या फर्म या संगठन या अन्य व्यक्ति, कर्मचारियों या किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन या यूनियनों, जिसके कर्मचारी सदस्य हैं, द्वारा दी गई ऐसी असफलता की लिखित सूचना पर और ऐसी असफलता की पुष्टि पर, कर्मचारियों को ऐसे न्यूनतम बोनस का भुगतान करेगा।

निरीक्षण स्कीम

69.(1) संहिता और इन नियमों के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार के अनुमोदन से श्रम आयुक्त द्वारा निरीक्षण स्कीम बनाई जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण स्कीम में, अन्य अवसंरचना के अलावा, प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और प्रतिष्ठान के लिए स्कीम में एक नम्बर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

निरसन या व्यावृत्ति

70. पंजाब न्यूनतम मजदूरी नियम, 1950, पंजाब मजदूरी संदाय नियम, 1937 और पंजाबमजदूरी संदाय (प्रक्रिया) नियम, 1965, हरियाण राज्यार्थ इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित उपरोक्त नियमों के अधीन जारी किया गया कोई आदेश अथवा की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के समरूपी उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

प्ररूप-।

{देखिए नियम 17, 18 तथा नियम 62}

वेतन, समयोपरी भत्ता, जुर्माना, नुकसान और क्षति के लिए कटौति संबंधी रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम:

नियोक्ता का नाम ():

स्वामी का नाम:

नियोक्ता पैन्/टैन

श्रम पहचान संख्या (एलआईएम)

कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम/विभाग	वेतन के भुगतान की अवधि (मासिक/पाक्षिक/साप्ताहिक/दैनिक/खंड में रेटेड)	वेतन की अवधि से-तक	अवधि के दौरान कार्य किए गए दिवसों की कुल संख्या	कुल ओवर टाइम (काम किए गए घंटे अथवा खंड कामगारों के मामले में उत्पादन)	वेतन की दरें		
							मूल वेतन	मंहगाई भत्ता	भत्ते
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ओवरटाइम से आय	कृत्यों एवं चूक की प्रकृति, जिसके लिए जुर्माना लगाया गया है।	लगाए गए जुर्माने की राशि	कर्मचारी की लापरवाही अथवा चूक से नियोक्ता को होने वाले नुकसान अथवा हानि	वेतन से कटौती की राशि	भुगतान किए गए वेतन की कुल राशि	भुगतान की तिथि	उपस्थिति	
							तिथि	हस्ताक्षर
11	12	13	14	15	16	17	18	19

कर्मचारी/कर्मकारों को आज कल (भुगतान, बैंक/बैंक अन्तरण द्वारा अन्तरित/किया जाता है। उपरोक्त परिदृश्य को ध्यान मकं रखते हुए, शीर्ष-19 में हस्ताक्षर के विकल्प के तौर पर बैंक अन्तरण विवरण को भी रखा गया है।

प्ररूप-।।

{देखिए नियम 48}

{धारा 45 की उप-धारा (5) के अधीन एकल आवेदन}

वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष

.....के लिए क्षेत्र

आवेदन संख्या20.....का

क, ख, ग (संख्या का उल्लेख करें) और अन्य आवेदक

(संबंधित कर्मचारी अथवा पंजीकृत व्यापार यूनियन अथवा निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के माध्यम से)

पता.....

और

.....क्ष, त्र, ज्ञ

पता.....

के बीच

इस आवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

(1) आवेदक जिनका (जिनके) नाम संलग्न अनुसूची में दिए गए हैं, श्री/मैसर्स,(प्रतिष्ठान) में (कार्य की प्रकृति) मेंसे तक (श्रेणी) के रूप में नियुक्त किया गया था/थे/हैं, जो वेतन संहिता, 2019 द्वारा कवर होती है।

(2) प्रतिवादी, वेतन संहिता, 2019 की धारा 2 (1) के अर्थ के भीतर नियोक्ता है/हैं

(3) (क) आवेदक (आवेदकों) को से तक की अवधि के लिएरूपये प्रति दिन के हिसाब से इस संहिता के अधीन कर्मचारी (यों) की उनकी श्रेणी (यों) के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम वेतन का भुगतान किया गया है।

(ख) आवेदक (को) को से तक के विश्राम के साप्ताहिक दिनों के लिए रूपये प्रति दिन की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) आवेदक (को) को से तक की अवधि के लिए समयोपरि दर (रों) पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) आवेदक (को) को से तक की अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ङ) इस आवेदन के साथ संलग्न अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट विवरण अनुसार आवेदक (कों) की मजदूरी से की गई कटौतियां इस संहिता का उल्लंघन है।

(च) आवेदक (कों) को लेखा वर्ष के लिए न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) आवेदक प्रत्येक राशि पर स्वयं द्वारा मांगी गई राहत का मूल्य निम्नानुसार आकलित करता/करते हैं।

(क) रूपये

(ख) रूपये

(ग) रूपये

कुल रूपये

(5) अतः आवेदक अनुरोध करता/करते हैं कि वेतन संहिता, 2019 की धारा के अधीन निम्नलिखित के लिए निर्देश जारी किया जाए;

(क) संहिता के अधीन भुगतानयोग्य वेतन और वास्तव में भुगतान किए गए वेतन के बीच के अंतर का भुगतान।

(ख) विश्राम के दिवसों के लिए पारिश्रमिक का भुगतान

(ग) समयोपरि दरों पर मजदूरी का भुगतान

(घ) रूपये का मुआवजा

(6) आवेदक इसके द्वारा यह घोषणा करता है/करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य उनके सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और सूचना के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक

नियोजित व्यक्ति (यों) अथवा किसी पंजीकृत ट्रेड
यूनियन द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी
अथवा निरीक्षक-सह-सूविधप्रदाता के हस्ताक्षर
अथवा अंगुठे का निशान.

टिप्पणी: आवेदक, यदि आवश्यक हो, तो इस आवेदन के साथ ब्यौरों से संबंधित अनुबंध संलग्न कर सकता है/सकते हैं।

प्ररूप III

{देखिए नियम 57 (1)}

मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन अपील प्राधिकारी के समक्ष मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 49 (1) के अधीन
अपील क, ख, ग

पता

.....अपीलकर्ता

बनाम

ग घ ङ.

.....पतिवादी

अपील का ब्यौरा :

1. उस आदेश को विवरण जिसके विरुद्ध अपील की गई है:-

संख्या और तिथि:

प्राधिकारी, जिसने प्रश्रगत आदेश जारी किया है

प्रदान की गई राशि:

प्रदान किया गया मुआवजा, यदि कोई हो:

2. मामले के तथ्य :

(इसमें तथ्यों का कालक्रमानुसार संक्षिप्त विवरण दें, जहां तक संभव हो प्रत्येक पैराग्राफ में अलग मामले अथवा तथ्य का उल्लेख किया जाए)

3. अपील के आधार :

4. मामला पहले दायर नहीं किया गया अथवा किसी अन्य न्यायालय अथवा किसी अपील प्राधिकारी के पास लंबित नहीं है।

अपीलकर्ता आगे यह घोषणा करता है कि उसने इस मामले के संबंध में, जिसमें यह अपील की गई है, पहले कोई अपील, रिट याचिका अथवा वाद किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी के समक्ष दायर नहीं किया है और न ही उनमें से ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या वाद किसी के पास लंबित है।

5. मांगी गई राहत :

ऊपर उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत प्रदान करने का अनुरोध करता है:-

{नीचे मांगी गई राहत (तों) का उल्लेख करें}

6. अनुलग्नों की सूची :

1.

2.

3.

4.

.....

दिनांक :

स्थान :

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग के लिए

.....

दायर करने की तिथि

अथवा

डाक द्वारा प्राप्त करने की तिथि

पंजीकरण संख्या

प्राधिकारी हस्ताक्षरकर्ता

प्ररूप IV

{देखिए नियम 62(3)}

कर्मचारी रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम :

नियोक्ता का नाम :

स्वामी का नाम :

नियोक्ता का पैन्/टैन :

श्रम पहमान संख्या (एलआईएन):

क्रम संख्या	कर्मचारी कोड	नाम	मनोनीत का नाम	लिंग	पिता / पति / पत्नी का नाम	जन्म तिथि	राष्ट्रीयता	शैक्षणिक स्तर	कार्य ग्रहण	पदनाम	श्रेणी (एच एस/एस एसयू एस)	रोजगार का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

मेबाइल संख्या	यूएएन	पैन्	ईएसआईसी आईपी संख्या	आधार	बैंक खाता संख्या	बैंक	शाखा(आईएफएससी)	वर्तमान पता	स्थायी पता
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

सेवा पुस्तिका संख्या	छोडने की तिथि	छोडने का कारण	पहमान चिन्ह	फोटो	नमूना हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान	टिप्पणियाँ
24	25	26	27	28	29	30

(अत्यधिक कुशल/कुशल/अर्धकुशल/अकुशल)

{कर्मकार की मृत्यु के मामले में अवितरित/असंदत्त राशि के लिए वाद टालने के लिए खाता 4 में मनोनीत का नाम दर्शाएं, जो संहिता की धारा 44(1) (क) तथा (ख) से सम्बंधित है}

प्ररूप v
 {देखिए नियम 63 देखें}
 मजदूरी पर्ची

जारी करने की तारीख:

प्रतिष्ठान का नामपताअवधि

1. कर्मचारी का नाम:
2. पिता/पति/पत्नी का नाम:
3. पदनाम:
4. यूएएन:
5. बैंक खाता सं.:
6. वेतन अवधि:
7. देय वेतन की दर: क.) मूल ख.) महंगाई भत्ता ग.) अन्य भत्ते
8. कुल उपस्थिति/किए गए कार्य की मात्रा:
9. समयोपरि वेतन:
10. भुगतानयोग्य सकल मजदूरी
11. कुल कटौती: क.) भविष्य निधि ख.) ईबसआई ग.) अन्य
12. भुगतान की गई कुल मजदूरी

नियोक्ता/वेतन प्रभारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-VI

(देखिए नियम 65(1))

अपराध के प्रशासन के लिए धारा 56 की उप-धारा (4) के अधीन आवेदन

1. आवेदक का नाम:
2. पिता/पति-पत्नी का नाम:
3. आवेदक का पता
4. अपराध के विवरण
-
-
-
5. संहिता की धारा, जिसके अधीन अपराध किया गया है
-
6. संहिता के अधीन अपराध के लिए उपबन्धित अधिकतम जुर्माना
-
7. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई अभियोजन लंबित है या नहीं
-
8. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था। यदि हो, तो पहले अपराध के पूर्ण विवरण दे।
-
-
-
9. कोई अन्य सूचना, जो आवेदक प्रदान करना चाहता हो
-
-
-

आवेदक

(नाम और हस्ताक्षर)

दिनांक:

प्ररूप-VII

{देखिए नियम 62(3)}

..... को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाला बोनस प्रतिष्ठान का नाम

वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	पदनाम	वर्ष में किए गए कार्य दिवस की संख्या	लेखा वर्ष के सम्बन्ध में कुल वेतन या मजदूरी
1	2	3	4	5	6

धारा 26 या धारा 27 जैसी भी स्थिति हो, के अधीन भुगतानयोग्य बोनस की राशि	लेख वर्ष के दौरान पुजा बोनस या अन्य प्रथागत बोनस	अग्रिम में भुगतान किए गए बोनस का अन्तरिम बोनस	कटौतियाँ		
			काटे गए आय कर की राशि	कर्मचारी के अवचार के कारण हुई वित्तीय हानि की राशि, यदि कोई हो, की कटौती	खाना 8,9,10 तथा 11 के अधीन काटी गई कुल धनराशि
7	8	9	10	11	12

भुगतानयोग्य कुल राशि (खाना 8-खाना 12)	भुगतान की गई वास्तविक राशि	भुगतान करने की तिथि	बोनस के भुगतान का ढंग
13	14	15	16

प्ररूप—VIII

{देखिए नियम 49}

प्राधिकार का प्रमाण—पत्र

मैं/हम नियोजित व्यक्ति, इसके द्वारा, मेरी/हमारी मजदूरी के भुगतान में विलम्ब/से अवैध कटौति के कारण के विरुद्ध दावे के सम्बन्ध में मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45 अथवा 49 के अधीन मेरे/हमारे निमित्त कार्यवाही करने के लिए विधि व्यवसायी/पंजीकृत ट्रेड यूनियन के कर्मचारी को प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं।

गवाह	1.1	2.2
	3.3	4.4

हस्ताक्षर

मैं प्राधिकार को स्वीकार करता हूँ

विधि व्यवसायी/पंजीकृत ट्रेड
यूनियन का कर्मचारी

प्ररूप-IX

{देखिए नियम 53 (1)}

आवेदन के निपटान का नोटिस

सेवा में,

जहां मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन आपके विरुद्ध मेरे समक्ष दावा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न की जाती है। आपको, इसके द्वारा या तो व्यक्तिगत रूप में या सम्यक् रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति, जो आवेदन से संबंधित सभी सारवान् प्रश्नों का जवाब देने में समर्थ हो, अथवा जो व्यक्तियों के सहयोग से ऐसे प्रश्नों का जवाब देने में समर्थ हो, को दावे के संबंध में जवाब देने के लिए दोपहर पूर्व/दोपहर बाद.....बजे.....दिन को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है और आपकी उपस्थिति हेतु नियत दिन को आवेदन के अन्तिम निपटान के लिए नियत किया जात है, आपको उस दिन को सभी गवाहों, जिनकी गवाही होनी है, और दस्तावेजे, जिन पर आप अपने बचाव के समर्थन में विश्वास रखते हो, प्रस्तुत करने के तैयार होना चाहिए।

नोटिस दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित दिन को आपकी उपस्थिति में चूक होने पर भी आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपको अनुपस्थिति निर्धारित की जाएगी।दिन को मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर से दिया है।

प्राधिकारी की मोहर

प्ररूप—x
[देखिए नियम 54 (1)]

1. क्रम संख्या
2. आवेदन की तिथि
3. आवेदक (कों) का नाम, वर्तमान पता
- अथवा कुछ या सभी आवेदक
समान असंदत्त ग्रुप से संबंधित हैं
4. नियोक्ता का नाम तथा पता
5. दावाकृत राशि
- (क) विलम्बित मजदूरी
- (ख) मजदूरी से की गई कटौती रूपए
6. नियोक्ता का अभिवचन और परीक्षण (यदि कोई हो)
7. निष्कर्ष और उसके कारणों का संक्षिप्त विवरण
8. प्रदान की गई राशि
- (क) विलम्बित मजदूरी
- (ख) मजदूरी से की गई कटौती रूपए
9. प्रदान किया गया मुआवजा
10. लगाई गई शास्ति
11. निर्णित लागत—
- (1) प्रभारित कार्ट फीस :
- (2) प्लीडर फीस :
- (3) गवाहों के खर्च :
12. निर्णित लागत—
- (1) प्रभारित कार्ट फीस :
- (2) प्लीडर फीस :
- (3) गवाहों के खर्च :

हस्ताक्षर

दिनांक

नोट :- ऐसे मामलों में जहां कोई अपील नहीं होगी, साक्ष्य के सार के लिए पृथक् सीट संलग्न करें।

प्ररूप-XI

[देखिए नियम 57 (3)]

मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45 (2) के अधीन अपील की सुनवाई के लिए नियत दिन हेतु प्रतिवादी के लिए नोटिस प्राधिकारी(क्षेत्र) के निर्देश दिनांक के विरुद्ध अपील प्रतिवादी

नोटिस दिया जाता है कि क्षेत्र के लिए प्राधिकारी के निर्देश से अपील, जिसकी प्रति संलग्न की जाती है, भ म य तथा अन्य द्वारा प्रस्तुत की गई है और न्यायालय में पंजीकृत की गई है और न्यायालय द्वारा इस अपील की सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई है।

यदि आप स्वयं अथवा अपील में आपकी ओर से कार्यवाही करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, तो अपील पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णित की जाएगी।

प्राधिकारी की मोहर

अनुसूची क
(देखिए नियम 20, 21, 25 तथा 26)

इस अनुसूची में, सभी कर्मचारियों को भुगतानयोग्य वार्षिक वेतन अथवा मजदूरी के 8.33 प्रतिशत के बराबर बोनस की कुल राशि 1,04,167 मानी गई है। तदनुसार, अधिकतम बोनस, जिसके लिए सभी कर्मचारी भुगतान के पात्र (सभी कर्मचारियों के वार्षिक वेतन अथवा मजदूरी का 20 प्रतिशत) अधिकतम बोनस की राशि 2,50,000 रूपए होगी।

वर्ष	बोनस के रूप में आंबटित किए जाने योग्य उपलब्ध अतिरिक्त राशि के 60 प्रतिशत या 67 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, के बराबर राशि	बोनस के रूप में भुगतानयोग्य राशि	वर्ष का अग्रेणीत सैट-ऑन अथवा सैट आफ	कुल अग्रेणीत सैट-ऑन अथवा सैट ऑफ	
1	2	3	4	5	6
	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	वर्ष (का)
1.	1,04,167	1,04,167''	शून्य	शून्य	
2.	6,35,000	2,50,000'	सैट ऑन 2,50,000'	सैट ऑन 2,50,000'	(2)
3.	2,20,000	2,50,000' (वर्ष-2 से 30,000 को शामिल करते हुए)	शून्य	सैट ऑन 2,20,000	(2)
4.	3,75,000	2,50,000'	सैट ऑन 1,25,000'	सैट ऑन 2,20,000 1ए25ए00	(2)
5.	1,40,000	2,50,000' (वर्ष-2 से 1,10,000 को शामिल करते हुए)	शून्य	सैट ऑन 1,10,000 1,25,000	(2) (4)
6.	3,10,000	2,50,000'	सैट ऑन 60,000'	सैट ऑन+शून्य 1,25,000 60,000	(2) (4) (6)
7.	1,00,000	2,50,000'	शून्य	सैट ऑन	

		(वर्ष-4 से 1-25000 तथा 6 वर्ष से 25000 को शामिल करते हुए)		35,000	(6)
8.	शून्य (नुकसान के कारण)	1,04,167" (वर्ष 6 से 35000 को शामिल करते हुए)	सैट ऑफ 69,167	सैट ऑफ 69,167	(8)
9.	10,000	1,04,167"	सैट ऑफ 94,167	सैट ऑफ 69,167 94,167	(8) (9)
10.	2,15,000	1,04,167" (वर्ष 8 से 69,167 तथा वर्ष 9 से 41,666 के सैट-ऑफ के बाद)	शून्य	सैट ऑफ 52,501	(9)

टिप्पणी:-

'अधिकतम

+ वर्ष 2 के व्यपगत से 1,10,000 रूपए के सैट ऑन से अतिशेष

" न्यूनतम

अनुसूची ख
सकल लाभ की संगणता
(देखिए नियम 22)

.....को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष

मद संख्या	विवरण	उप मदों की राशि राशि (रूपए में)	मुख्य मदों की राशि राशि (रूपए में)	टिप्पणियाँ
1.	सामान्य तथा आवश्यक उपबंध करने के पश्चात् लाभ-हानि लेखा में यथा प्रदर्शित शुद्ध लाभ			
2.	निम्नलिखित के लिए उपबन्धित राशि पीछे जोड़ दे : (क) कर्मचारियों का बोनस (ख) अवमूल्यन (ग) विकास छूट आरक्षिति (घ) कोई अन्य आरक्षिति मद संख्या 2 का योग	राशि		देखिए पाद टिप्पण (1) देखिए पाद टिप्पण (1)
3.	निम्नलिखित को भी पीछे जोड़ दे (क) कर्मचारियों को पूर्व लेखा वर्ष क लिए संदत्त बोनस (ख) कर्मचारियों को निम्नलिखित के योग से अधिक में संदत्त या संदेय			देखिए पाद टिप्पण (1)

<p>उपदात्त के लिए विकलित राशि, अर्थात् :-</p> <p>(i) किसी अनुमोदित उपदात्त निधि से संदत्त किए जाने के लिए अथवा भुगतान उपबन्धित राशि, यदि कोई हो,</p> <p>(ii) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर या किसी कारणवश उनका नियोजन की समाप्त पर उन्हें संदत्त वास्तविक राशि</p> <p>(ग) आय कर के लिए अनुज्ञेय राशि का अधिक में दान</p> <p>(घ) पूंजीगत व्यय (वैज्ञानिक अन्वेषण पर उस पूंजीगत व्यय से भिन्न जो प्रत्यक्ष करों से संबंधित तत्सयम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुज्ञात है) तथा पूंजीगत हानियां (जो पूंजीगत आस्तियों के विक्रय पर हुई हानियों से भिन्न है, जिन पर आय कर हेतु अवमूल्यन अनुज्ञात किया गया है।</p> <p>(ड.) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का</p>			<p>देखिए पाद टिप्पण (1)</p> <p>देखिए</p>
--	--	--	--

	<p>10) की धारा 34क की उप-धारा (2) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमाणित कोई राशि।</p> <p>(च) भारत के बाहर स्थित किसी व्यवसाय की हानियां या तत्संबंधी व्यय।</p> <p>मद संख्या 3 का कुल</p>	राशि		
4.	<p>निम्नलिखित से भिन्न आय, लाभ या अधिलाभ (यदि कोई हो) भी जोड़ दें, जो प्रकाशित अथवा प्रकटित आरक्षित खाते में सीधे जमा किए गए हैं—</p> <p>(i) पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत लाभ (जिनमें उन पूंजीगत अस्तियों के विक्रय पर हुए लाभ भी सम्मिलित हैं, जिन पर आय-कर के लिए अवमूल्यन को अनुज्ञात नहीं किया गया है)</p> <p>(ii) भारत के बाहर स्थित किसी व्यवसाय के लाभ और तत्संबंधी प्राप्तियां</p> <p>(iii) भारत के बाहर स्थित विनिधानों से विदेशी बैंककारी कंपनियों की आय</p>			

	मद संख्या 4 का कुल योग	राशि		
5.	मद संख्या 1, 2, 3 और 4 का सकल योग	राशि		
6.	<p>निम्नलिखित की कटौती करें:-</p> <p>(क) पूंजीगत प्राप्तियों और लाभ (जो उन आस्तियों के विक्रय से हुए लाभों से भिन्न है, जिनपर आय-कर के लिए अवमूल्यन को अनुज्ञात किया गया है।)</p> <p>(ख) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय के लाभ तथा तत्संबंधी प्राप्तियां</p> <p>(ग) भारत से बाहर विनिधानों से विदेशी बैंककारी कंपनियों की आय</p> <p>(घ) निम्नलिखित से भिन्न व्यय या हानियां (यदि कोई हो) जो प्रकाशित या प्रकटित आरक्षित खाते में से निकाली की गई है :-</p> <p>(i) पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत हानियां (जो उन पूंजीगत आस्तियों के विक्रय</p>			<p>देखिए पाद टिप्पण (2)</p> <p>देखिए पाद टिप्पण (2)</p> <p>देखिए पाद टिप्पण (2)</p>

<p>पर हुई हानियों से भिन्न है, जिन पर आय-कर के लिए अवमूल्यन, अनुज्ञात किया गया है।)</p> <p>(ii) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय की हानियां</p> <p>(ड.) विदेशी बैंककारी कंपनियों के मामले में, प्रधान कार्यालय के आनुपातिक प्रशासनिक (उपरिव्यय) जो भारतीय व्यवसाय के हिस्से में आना चाहिए।</p> <p>(च) पूर्व लेखा वर्षों के लिए संदत्त किसी भी प्रत्यक्ष कर के किसी अधिक का प्रतिदाय तथा पूर्व लेखावर्षों के लेखे बोनस, अवमूल्यन या विकास रिवेट संबंधी कोई उपबंधित अधिमान रकम यदि वह लेखा में पुनः प्रविष्ट की गई है।</p> <p>(छ) बजट संबंधी अनुदनों के माध्यम से किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित</p>			<p>देखिए पाद टिप्पण (3)</p> <p>देखिए पाद टिप्पण (2)</p> <p>देखिए पाद टिप्पण (2)</p>
--	--	--	---

	<p>किसी निगमित निकाय द्वारा या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संदत्त नकद साहायिकी, यदि कोई हो।</p> <p>मद संख्या 6 का कुल योग</p>	राशि		
7.	<p>बेनस के प्रयोजनों के लिए सकल लाभ (मद संख्यांक 5(-) ऋण मद संख्या 6)</p>		राशि	

व्याख्या.— मद 3 की उपमद (ख) में, “अनुमोदित उपदान निधि” पद का वही अर्थ है, जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (5) में है।

जहां लाभ को कराधान के अध्यक्षीन लाभ और हानि खाते में रखा गया है और आय पर करों के लिए प्रावधान को दर्शाया गया है, वहां आय पर करों के लिए वास्तविक प्रावधान को लाभ से काट लिया जाएगा।

पाद—टिप्पण

- (1) यदि वे और उस सीमा तक लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।
- (2) यदि वे और उस सीमा तक लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।
- (3) कुल विश्व सकल लाभ (उस समेकित लाभ—हानि खाते के अनुसार जो केवल उपर्युक्त मद संख्या 2 में हो यथा समायोजित रूप में है) संकलित विश्व सकल लाभ हेतु भारतीय सकल लाभ (मद संख्या 7) के अनुपात में।

अनुसूची ग

सकल लाभ की संगणना

(देखिए नियम 23)

.....को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष

मद संख्या	विवरण	उप मदों की राशि राशि (रूपए में)	मुख्य मदों की राशि राशि (रूपए में)	टिप्पणियाँ
1.	लाभ एवं हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ			
2.	निम्नलिखित को पीछे जोड़े के प्रावधान : (क) कर्मचारियों का बोनस (ख) अवमूल्यन (ग) पूर्ववर्ती लेखा वर्षों के लिए प्रावधान सहित (यदि कोई हो) प्रत्यक्ष कर (घ) विकास रिबेट/निवेश भत्ता/विकास भत्ता आरक्षिति (ड.) कोई अन्य आरक्षिति			देखिए पाद टिप्पण (1) देखिए पाद टिप्पण (1)
	मद संख्या 2 का कुल	रूपए		
3.	निम्नलिखित को भी पीछे जोड़ दे : (क) पूर्ववर्ती लेखा वर्षों के संबंध में कर्मचारियों को संदत्त बोनस (कक) कर्मचारियों को निम्नलिखित के कुल योग से अधिक संदत्त या संदेय उपदान के संबंध में जमा करवाई गई राशि— (i) अनुमोदित उपदान निधि से भुगतान की गई, या संदत्त के लिए उपबन्धित राशि, यदि कोई हो, और (ii) कर्मचारियों की उनकी सेवानिवृत्ति पर या किसी कारण से उनके नियोजन की समाप्ति पर वास्तव में संदत्त राशि ; (ख) आय-कर के लिए अनुज्ञेय राशि क आधिक्य में दान			देखिए पाद टिप्पण (1)

	<p>(ग) लेखा वर्ष के दौरान आय-कर अधिनियम की धारा 280घ के उपबन्धों के अधीन कोई देय वार्षिकी या दी गई किसी वार्षिकी की संराशीकृत राशि ;</p> <p>(घ) पूंजीगत व्यय (वैज्ञानिक अनुसंधान पर उस पूंजीगत व्यय, जो प्रत्यक्ष करों के संबंध में उस समय लागू किसी विधि के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञेय है, को छोड़कर) और पूंजीगत हानि (पूंजीगत परिसंपत्तियों के विक्रय, जिन पर आय-कर अथवा कृषिगत आय-कर के लिए अवमूल्यन की अनुमति है, को छोड़कर।)</p> <p>(ड.) भारत के बाहर स्थित किसी व्यवसाय के संबंध में हानि अथवा व्यय।</p> <p>मद संख्या 3 का कुल</p>	रूपए		देखिए पाद टिप्पण (1)
4.	<p>निम्नलिखित से भिन्न आय, लाभ या अधिलाभ (यदि कोई हो) भी जोड़ दें, जो आरक्षित खाते में सीधे जमा किए गए हैं—</p> <p>(i) पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत लाभ (जिनमें उन पूंजीगत परिसम्पत्तियों के विक्रय पर हुए लाभ भी सम्मिलित हैं, जिन पर आय-कर अथवा कृषिगत आय-कर के लिए अवमूल्यन अनुज्ञेय नहीं है)</p> <p>(ii) भारत के बाहर स्थित किसी व्यवसाय के लाभ और तत्संबंधी प्राप्तियां</p>			

	<p>(उपरिव्यय) जो भारतीय व्यवसाय के हिस्से में आना चाहिए।</p> <p>(च) पूर्व लेखा वर्षों के संदर्भ संदत्त किसी भी प्रत्यक्ष कर का प्रतिदाय तथा पूर्व लेखावर्षों में बोनस, अवमूल्यन, कराधान या विकास रिबेट या विकास भत्ता संबंधी, यदि कोई, अधिक उपबन्ध किए गए हैं, यदि पुनः प्रविष्ट की गई हो।</p> <p>(छ) नकद सहायिकी, यदि कोई हो, जिसे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सरकार या द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित किसी निगमित निकाय या किसी अन्य अभिकरण द्वारा बजट अनुदान के माध्यम से दी गई हो और उसके आगाम ऐसे प्रयोजनों के लिए आरक्षित हो। संदत्त नकद साहयिकी, यदि कोई हो।</p> <p>मद संख्या 6 का योग</p>			<p>देखिए पाद टिप्पण (3)</p> <p>देखिए पाद टिप्पण (2)</p>
	मद संख्या 6 का योग	रूपए		
7.	बेनस के प्रयोजनों के लिए सकल लाभ (मद संख्यांक 5 में से मद संख्या 6 घटाकर जो आए)		राशि	

व्याख्या.— मद 3 की उपमद (कक) में, “अनुमोदित उपदान निधि” पद का वही अर्थ है, जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (5) में है।

पाद-टिप्पण

- (1) यदि वे और जिस सीमा तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।
- (2) यदि वे और जिस सीमा तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।
- (3) उस अनुपात में जो भारतीय सकल लाभ का (मद संख्या 7) (उस समेकित लाभ-हानि खाते के अनुसार जो केवल उपर्युक्त मद संख्या 2 में हो यथा समायोजित रूप में है) संकलित विश्व सकल लाभ से है।

अनुसूची घ
(देखिए नियम 24)

मद संख्या	नियोजक की श्रेणी	अतिरिक्त राशियां जिनकी कटौती की जानी है
1	2	3
1.	बैंकिंग कंपनी से भिन्न कंपनी	<p>(i) उसके अधिमान प्राप्त शेयर पूंजी के संबंध में लेखा वर्ष के लिए संदेय लभांश जो ऐसी वास्तविक दर पर संगणित हो, जिस पर ऐसे लभांश संदेय है;</p> <p>(ii) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसकी संदत साम्य शेयर पूंजी का 8.5 प्रतिशत ;</p> <p>(iii) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसके तुलन पत्र में दर्शित उसकी आरक्षितियों का 6 प्रतिशत, जिसके अंतर्गत पूर्व लेखा वर्ष से अग्रेणित कोई लाभ शामिल है ;</p> <p>परन्तु जहां नियोक्ता कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 (42) के अर्थ में विदेशी कंपनी है, वहां इस मद के अधीन कुल राशि, जिसकी कटौती की जानी है, भारत में कंपनी की शुद्ध नियत आस्तियों और चालू आस्तियों के कुलयोग पर 8.5 प्रतिशत होगी, जिसमें से उसके चालू देयताओं की रूपए की (जो उस किसी रूपए से भिन्न है, जो चाहे तो उसके प्रधान कार्यालय द्वारा दिए गए किसी आदिदाय राशियां अन्यथा या कंपनी द्वारा अपने प्रधान कार्यालय को दिए किसी ब्याज की रूपए कंपनी द्वारा प्रधान कार्यालय को देय दर्शाई गई है) कटौती करने के पश्चात् है।</p>
2.	बैंकिंग कंपनी।	<p>(i) उसके अधिमान प्राप्त शेयर पूंजी के संबंध में लेखा वर्ष के लिए संदेय लाभांश जो ऐसी दर पर संगणित हों, जिस पर ये लाभांश संदेय है।</p> <p>(ii) लेखा वर्ष के आरंभ पर यथाप्रारम्भ उसकी संदत्त इक्यूटी शेयर पूंजी का 7.5 प्रतिशत ;</p> <p>(iii) उसके तुलन पत्र में लेखा वर्ष के प्रारंभ पर यथादर्शित उसकी आरक्षित (रिजर्व) का 5 प्रतिशत, जिसके अंतर्गत पूर्व लेखा वर्ष से अग्रेणीत कोई लाभ भी शामिल है।</p> <p>(iv) लेखा वर्ष के संबंध में कोई राशि, जो उसके द्वारा—</p> <p>(क) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत किसी आरक्षित निधि को अंतरित की गई है; अथवा</p> <p>(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या मन्त्रणा के अनुसार उक्त दोनों में से जो भी अधिक है :</p>

		<p>परन्तु जहां बैंकिंग कंपनी, अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 (42) के अर्थ में विदेशी कंपनी है, वहां इस मद के अधीन कटौती की जाने वाली राशि निम्नलिखित का योग होगी—</p> <p>(i) उसके अधिमान प्राप्त अंशधारियों को लेखा वर्ष के लिए ऐसी राशि पर जिसका उसकी कुल अधिमान प्राप्त अंश पूंजी से वहीं अनुपात है जो भारत में उसके कारोबारी निधियों का उसकी कुल विश्व निधियों से है, उसकी दर से संदेय लाभांश जिस पर ऐसे लाभांश संदेय हैं ;</p> <p>(ii) ऐसी राशि का 7.5 प्रतिशत, जिसका उसकी कुल समादत्त साधारण अंशपूंजी से वहीं अनुपात है जो भारत में उसकी कुल कारोबारी निधियों का उसकी कुल विश्व कारोबारी निधियों से है ;</p> <p>(iii) उस ऐसी राशि का 5 प्रतिशत, जिसका उसकी कुल प्रकटित आरक्षितियों से वही अनुपात है जो भारत में उसकी कुल विश्व कारोबारी निधियों से है ;</p> <p>(iv) ऐसी धनराशि जो लेखा वर्ष के संबंध में उसके द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (पप) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक में जमा की जाती है और जो पूर्वोक्त उपबंध के अधीन इस प्रकार जमा किए जाने के लिए अपेक्षित धनराशि से अधिक नहीं हैं।</p>
3.	निगम	<p>(i) लेखा वर्ष के यथा प्रारम्भ पर उसकी संदत्त पूंजी का 8.5 प्रतिशत ;</p> <p>(ii) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसके तुलन-पत्र में दर्शित उसकी आरक्षितियों, यदि कोई हों, का 6 प्रतिशत, जिसके अंतर्गत पूर्व लेखा वर्ष में अग्रणीत कोई लाभ भी है।</p>
4.	सहकारी सोसाइटी	<p>(i) लेखा सोसायटी द्वारा अपने स्थापन में निहित उस पूंजी का 8.5 प्रतिशत, जो लेखा वर्ष के प्रारंभ पर उसकी लेखा-बहियों से साक्षित है ;</p> <p>(ii) ऐसे धनराशि जो लेखा वर्ष के संबंध में सहकारी सोसायटियों से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन आरक्षित निधि में अग्रणीत की गई हो।</p>
5.	कोई अन्य नियोक्ता जो पूर्वोक्त श्रेणियों में से किसी में नहीं आता	<p>उसके द्वारा अपने प्रतिष्ठान में निवेश की गई पूंजी का 8.5 प्रतिशत जो लेखा वर्ष के प्रारंभ पर उसकी लेखा बहियों से यथा साक्षित है :</p> <p>परन्तु जहां ऐसे नियोक्ता, वह व्यक्ति है जिसपर आय-कर अधिनियम के अध्याय 22क लागू होता है, वहां उस अध्याय के उपबंधों के अधीन लेखा वर्ष के</p>

		<p>दौरान संदेय वार्षिक जमा राशि की भी कटौती की जाएगी :</p> <p>परन्तु यह और कि जहां ऐसे नियोक्ता कोई फर्म हैं, वहां उस लेखा वर्ष के संबंध में उस प्रतिष्ठान से धारा 6 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अवमूल्यन की कटौती के उपरांत उसे व्युत्पन्न सकल लाभों के 25 प्रतिशत के बराबर राशि की भी कटौती उस प्रतिष्ठान के संचालन में भाग लेने वाले सब भागीदारों के पारिश्रमिक के रूप में की जाएगी किन्तु जहां भागीदारी करार चाहे वह मौखिक या लिखित हो, ऐसे किसी भागीदार को पारिश्रमिक के संदाय के लिए उपबंध कराता है, तथा—</p> <p>(i) जहां ऐसे भागीदारों को संदेय कुल पारिश्रमिक उक्त 25 प्रतिशत से कम है, वहां ऐसे राशि अड़तालीस हजार रूपए से अधिक न हो, जो ऐसे प्रत्येक भागीदार को संदेय है, अथवा</p> <p>(ii) जहां ऐसे भागीदारों को संदेय कुल पारिश्रमिक उक्त 25 प्रतिशत से अधिक है वहां उतने प्रतिशत रूपए या ऐसे हर एक भागीदार को अड़तालीस हजार रूपए की दर से परिकलित धनराशि , जो भी कम हो, की परन्तुक के अधीन कटौती की जाएगी : अथवा</p> <p>परन्तु यह और कि जहां ऐसा नियोक्ता व्यक्ति या हिन्दु अविभाजित परिवार है, वहां—</p> <p>(i) लेखा-वर्ष के संबंध में उस प्रतिष्ठान से ऐसे नियोक्ता को धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अवमूल्यन की कटौती करने के बाद प्राप्त सकल लाभ के 25 प्रतिशत के बराबर राशि की ; अथवा</p> <p>(ii) अड़तालीस हजार रूपए की, उक्त दोनों में से जो भी कम हो, कटौती ऐसे नियोक्ता के पारिश्रमिक के रूप में की जाएगी।</p>
--	--	--

व्याख्या— मद संख्या 1(iii), 2(iii), 3(ii) के सामने खाना (3) में दी गई 'आरक्षितियों' अभिव्यक्ति के अंतर्गत कोई ऐसी राशि शामिल नहीं हैं जो—

- (i) किसी ऐसे प्रत्यक्ष कर का भुगतान, जो तुलन पत्र के अनुसार संदेय होगा ;
- (ii) धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय किसी अवमूल्यन की पूर्ति के लिए;
- (iii) ऐसे लाभांशों के संदाय, जो घोषित किए गए हैं, लेकिन जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(क) इस व्याख्या के खण्ड (i) में निर्दिष्ट राशि से अतिरिक्त ऐसी राशि, जो किसी प्रत्यक्ष-कर के संदाय के प्रयोजन के लिए अलग रखी गई हैं, और

(ख) कोई ऐसी राशि, जो धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय राशि से अधिक राशि, जो किसी अवमूल्यन को पूरा करने के लिए अलग रखी गई है।

अनुसूची ड.
{दिखिए नियम 4(3)}

क्रम संख्या	अकुशल
1.	बेलदार
2.	गवाला
3.	चरवाहा
4.	क्लीनर (मोटर शेड, ट्रैक्टर, पशु-अहाता, एम.टी.)
5.	चारा इकट्ठा करने वाला
6.	डेयरी कुली
7.	मजदूर (अर्पोर्टकल्चरिस्ट कम्पोस्ट, डेयरी में फूस के ढेर लगाना, सिंचाई, गोबर के ढेर लगाना, दूध दोहने का कक्ष, राशन कक्ष स्टोर, मलेरिया-रोधी, एम.आर.)
8.	चालक (खच्चर, बैल, ऊँट, गधा)
9.	ड्रैसर
10.	चलक (बैल, खच्चर)
11.	गड़ेरिया
12.	डेयरी कामगार
13.	(स्टोर मजदूर)
14.	वाहक (पत्थर)
15.	तोड़ने वाला (दस्ती औजारों के इस्तेमाल से)
16.	हैल्पर
17.	संदेशवाहक (कार्यालय)
18.	मली
19.	सईस
20.	फूस बाँधने और ले जाने वाला
21.	स्वीपर
22.	गट्टर तोलने और ले जाने वाला
23.	तुलाईकार (गट्टर, पल्ली)
24.	पानी वाला
25.	सईस
26.	ट्रॉली मैन
27.	वाल्व कर्मी
28.	पहरेदार,
29.	सफेदी करने वाला,
30.	लकड़हारा,
31.	लकड़हारा (स्त्री)
32.	बोरीमैन,
33.	कोयला कर्मी
34.	कंडेनसर,
35.	परिचारक,
36.	घासकाटने वाला,
37.	मुच्छड़ जमादार,
38.	कंडेनसर परिचारक

39.	शन्टर्स
40.	टरनर,
41.	बजरी फैलानेवाला,
42.	बीटर महिला,
43.	बैल-महिला
44.	चेन कर्मी
45.	बोट मैन,
46.	बकेट मैन,
47.	श्रमिक (बॉयलर, पशु-अहाता, खेती, सामान्य भार चढ़ाना-उतारना, बंडिंग कार्टिंग-फर्टिलाइजर, हार्वेस्टिंग, विविध बीज-अंकुरण, बीज बोना, छाजन, प्रत्यारोपण खरपतवार की छँटाई)
48.	क्लीनर (क्रेन, ट्रक, राख के गड्डों के लिए सुलगता कोयला),
49.	कार्टमैन,
50.	रखववाल (पुल),
51.	वाहक (जल),
52.	चौकिदार,
53.	कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला)
54.	दफादार,
55.	चालक (बैल, ऊँट, गधा, खच्चर)
56.	फलैंग मैन,
57.	फलैंगमैन (ब्लास्ट ट्रेन)
58.	मशीनों पर काम न करने वाला खलासी
59.	गैंगमैन,
60.	गेटिंगमैन (स्थायी मार्ग),
61.	हैंडर मैन, जम्पर मैन,
62.	कमीन (महिला कामगार),
63.	खलास,
64.	पुल
65.	इलेक्ट्रिकल,
66.	मैरिन,
67.	मोपलाह,
68.	स्टोर,
69.	स्टीम रोड
70.	शेयर
71.	रॉलर सर्वेक्षण,
72.	श्रमिक (बगीचा),
73.	मजदूर,
74.	छिद्र काटनेवाला,
75.	लॉरी प्रशिक्षु,
76.	पेट्रोलमैन,
77.	सर्चर,
78.	सिग्रल मैन,

79.	स्ट्राइकर,
80.	वैक्स नियंत्रक,
81.	क्लीनर,
82.	ड्रेसर/ड्रेसिंग मजदूर,
83.	लोडर
84.	मजदूर (पुरुष/महिला)
85.	संदेशवाहक (पुरुष/महिला)
86.	ट्रेमर
87.	रखवाल (कॉपर, क्रोमाइट और ग्रेफाइट खानों के अलावा जहाँ यह अर्धकुशल है)
88.	कार्यालय चपरासी/चपरासी (बॉक्साइट खानों के अलावा)
89.	स्वीपर (पुरुष/महिला)
90.	स्वाहक
91.	नंबर टेकर
92.	ट्रॉली ट्राइपर
93.	वाटर कैरियर
94.	मृदा कटर
95.	सर्वेक्षण खलासी
96.	गेट मैन,
97.	कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला)
98.	विखण्डन भंडार
99.	लैम्पमैन
100.	बेलदार/बेलदार (कैंटिन)
101.	कुली
102.	चपरासी
103.	रसोइये का सहायक
104.	ऑफिस बॉय
105.	खदान कामगार
106.	जैली बनाने वाला
107.	अधि भारित अपसारक
108.	अपशिष्ट अपसारक मजदूर
109.	उतारने वाला
110.	उत्खनन श्रमिक
111.	खोदने वाला
112.	कसाई
113.	परिचारक
114.	लॉरी सहायक
115.	सतही लोडर
116.	लकड़हारा
117.	सतही मुकर
118.	भूमिगत मुकर
119.	स्ट्राइकर (मोपलाह गैंग),
120.	टॉल बॉय,

121.	टाइल
122.	लादने और उतारने में नियोजित व्यक्ति
123.	किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले अकुशल प्रकृति के स्वीपिंग और क्लीनिंग तथा अन्य वर्गों में नियोजित व्यक्ति।

क्रम संख्या	अर्धकुशल
1.	सहायक (चौकीदार)
2.	परिचारक (बुल-काल्विंग लाइन्स, चौकीदार, चाफ कटर, होस्टल, शुष्क स्टॉक, अनाज भंजक पम्प, सीकलाइन,
3.	अस्तबल, अहाता स्टॉक)
4.	सहायक-नलसाज़
5.	परिचारक
6.	भिस्ति
7.	ब्रान्डर
8.	बुलमैन
9.	बटरमैन
10.	कोचमैन
11.	मेची
12.	खेतिहर
13.	दपतरी
14.	डिलीवरीमैन
15.	धोबी
16.	ड्रेसर
17.	फायरमैन
18.	ग्वाला
19.	हैमरमैन
20.	हैल्पर (लुहार)
21.	हैल्पर
22.	जमादार (स्टैण्ड)
23.	जमादार
24.	खलासी
25.	माली वरिष्ठ
26.	मैट / मिस्त्री
27.	मज़दूर (शिक्षित)
28.	नलबन्द
29.	ऑयलमैन
30.	हलवाला
31.	वीटेकर्स
32.	पर्यवेक्षक
33.	छप्पर
34.	बाल्वमैन
35.	बाल्वमैन (वरिष्ठ)

36.	टिन केबलें लगाने वाला वायरमैन
37.	रसोइया
38.	डेन्डी
39.	फ़ाश
40.	आरी कामगार
41.	हैल्पर (लॉको-क्रेन / ट्रक)
42.	मांझी (बोटमैन)
43.	बेल्चावाला
44.	मक्काडेम (धात्विक बुलडोज़र चालक खान विनियम, 1961 के अंतर्गत सक्षमता प्रमाण-पत्र के बिना)
45.	भिस्ति (मुश्क के साथ)
46.	बोटमैन (मुखिया)
47.	ब्रेकर,
48.	ब्रेकर (पत्थर, चट्टान, पहाड़ी पत्थर, पत्थर धातु)
49.	कैनवीवर
50.	चेनमैन (मुखिया)
51.	चारपाई बुनकर
52.	चेकर
53.	कैकर
54.	डॉलीमैन
55.	सहायक
56.	ड्रिलर
57.	सुचालक (त्वचा)
58.	उत्खनन
59.	फेरोमैन
60.	फायरमैन (ईंट भट्टा, वाष्प रोड रोलर)
61.	द्वारपाल
62.	घरासी
63.	क्लासमैन
64.	ग्रेटर
65.	ग्रीजर-सह-फायरमैन
66.	ग्राइन्डर
67.	हैमरमैन
68.	हैल्पर (कारीगर)
69.	हैल्पर (आराकस)
70.	कीमैन
71.	खलासी (मुख्य पर्यवेक्षक, रिक्टर्स-मोपलाह गैंग, पर्यवेक्षी)
72.	श्रमिक (पत्थर काटना)
73.	लास्कर
74.	माली (मुखिया)
75.	स्टॉकर्स और बॉयलरमैन
76.	थूमबामैन (फावड़ा कामगार)

77.	टिनडेल्स
78.	ट्रालीमैन (हैड मोटर)
79.	फिटर (सहायक अर्ध-कुशल)
80.	जमादार (अर्ध-कुशल)
81.	मेट (पत्थर)
82.	कसाब
83.	खलासी (संरचनात्मक)
84.	मसालची पी.एम.मेट्स
85.	खनिक
86.	अप्रशिक्षित मेट/खनन मेट/धात्विक बुलडोजर चालक खान विनियम, 1961 के अंतर्गत सक्षमता प्रमाण-पत्र के बिना मेट
87.	बटलर/रसोइया
88.	ब्रेकर (मशीनी उपकरणों के इस्तेमाल से)
89.	शिशु-सदन आया/आया/अप्रशिक्षित शिशु-सदन परिचारक
90.	सहायक ड्रिलर
91.	ऑयलमैन/ऑयलर
92.	चौकीदार/बॉचमैन
93.	हैल्पर (राजमिस्त्री, बढई, लुहार)
94.	टिन्डेल्स
95.	टोपाज़
96.	टोपकार (बड़ा पत्थर भंजक)
97.	ट्राली जमादार
98.	विंचमैन
99.	उपरिस्थिति-रखवावाल
100.	सहायक वायरमैन
101.	मेट
102.	मेट (लुहार, सड़क, बढई)
103.	इंजिन ड्राइवर और/या फिडर
104.	फिटर
105.	गैंग
106.	मजदूर राजमिस्त्री
107.	स्थायी मार्ग
108.	पम्प-चालक, टरनर
109.	मजदूर (हैती-वेट)
110.	चार्ज-मैन
111.	मिस्त्री (मुखिया)
112.	मुकाडम
113.	रात्रि-गार्ड
114.	रनर (पोस्ट डाक)
115.	ऑयलमैन
116.	खदान कर्मी
117.	खदान परिचारक

118.	स्टॉनमैन
119.	स्टॉकर
120.	थैचर
121.	पम्प परिचारक
122.	बियरर
123.	ब्रेकमैन
124.	क्राउल्डरमैन
125.	प्रयोगशाला सहायक
126.	पॉइन्टसमैन सेनकम्मी
127.	पत्थर खान तथा अर्ध-कुशल प्रकृति की किसी भी नाम से पुकारे जाने वाली श्रेणियाँ

क्रम संख्या	कुशल
1.	शिल्पकार (श्रेणी-II, III, IV)
2.	लुहार
3.	लुहार (श्रेणी-II)
4.	बाँयलरमैन
5.	बढ़ई
6.	बढ़ई (श्रेणी-II) बढ़ई-सह-लुहार
7.	चौकीदार
8.	चालक
9.	चालक (इंजिन ट्रक्टर, एम.टी. मोटर)
10.	इलेक्ट्रीशियन
11.	फिटर
12.	राजमिस्त्री
13.	राजमिस्त्री श्रेणी-II
14.	मशीन हैण्ड (श्रेणी-II, III, IV)
15.	मशीनरमैन
16.	मेट ग्रेड I (वरिष्ठ)
17.	मैकनिक
18.	मिल्क राइटर
19.	मिस्त्री मुखिया
20.	मॉउल्डर
21.	मस्टर राइटर
22.	प्रचालक (टयूबवेल)
23.	पेन्टर
24.	नलसाज़
25.	वैल्डर
26.	पोशिशसाज़
27.	वायरमैन,
28.	चिपर,
29.	चिपर-सह-ग्राइन्डर
30.	रसोइया (मुखिया)

31.	ड्रिलर
32.	ड्रिलर (कुआँ खोदना)
33.	चालक (लोको/ट्रक)
34.	इलेक्ट्रीशियन (सहायक)
35.	मैकेनिक (टयूब-वेल)
36.	मिस्त्री (स्टेल, टयूबवेल, टेलीफोन)
37.	मीटर रीडर
38.	मौसम अवलोकनकर्ता नवघानी
39.	प्रचालक (बैचिंग संयंत्र, सिनेमा परियोजना, क्लैम्प शेल्फ, कम्प्रेसर, ग्रेन, डोरिक, डीजल इंजिन, डोजर, ड्रेगलिंग ड्रिल डम्बर, उतखनक, फॉर्क लिफ्ट जेनेरेटर, ग्रेडर, जैक हैमर ए पेयमेन्ट ब्रेकर लोडर, पम्प, पाइल ड्राइविंग, स्केपर, स्कीनिंग संयंत्र, शोवल, ट्रेक्टर, वाइब्रेट वेट बेचर, रेलवे गार्ड, मरम्मत
40.	शार्पर/स्लोटर
41.	स्प्रेयर (अशाल्ट) स्टेशन मास्टर
42.	पर्यवेक्षक (सिल्ट)
43.	ट्रेड्स-मैन
44.	ट्रेन जाँचकर्ता
45.	टरनर/मिलर
46.	टायरवल्केनाइजर
47.	आराकस
48.	आराकस (चयन ग्रेड श्रेणी ८) सेरंग
49.	सेरंगपाइल
50.	बॉयलर सहित ड्राइविंग पेनटूमस
51.	शैप्समैन
52.	पाली-प्रभारी
53.	स्प्रेयरमैन
54.	स्प्रेयरमैन (सड़क)
55.	पत्थर काटनेवाला
56.	पत्थर काटनेवाला (चयन ग्रेड ग्रेड II श्रेणी II)
57.	स्टॉन चिस्लर
58.	स्टॉन चिस्लर (श्रेणी II)
59.	स्टॉन ब्लास्टर
60.	उप-पर्यवेक्षक
61.	पर्यवेक्षक
62.	पम्प चालक
63.	पम्प चालक (चयन ग्रेड), ग्रेड II और III, श्रेणी II
64.	पम्प चालक (चयन ग्रेड, पी.ई., चालक)
65.	पम्पमैन
66.	पम्पमैन सहायक
67.	नलसाज
68.	पोलीशर (स्प्रे के साथ) ग्रेड II
69.	रतन मैन

70.	रिविट कटर (सहायक)
71.	रिविट
72.	रिविट (कटर)
73.	सड़क निरीक्षक ग्रेड II, रेलवे प्लेट लेयर
74.	रोड बेन्डर
75.	हॉलेज प्रचालक
76.	औषधालय परिचारक
77.	वर्क सकर
78.	अभ्रक कटर ग्रेड-I
79.	ड्रेसर ग्रेड-I अभ्रक
80.	पर्यवेक्षी फायरमैन
81.	खानों में केवल फायरमैन
82.	कम्प्रेसर चालक
83.	पम्प चालक 96, अभ्रक खानों में ग्राइन्डर
84.	पर्यवेक्षक
85.	दर्जी
86.	दर्जी (तोशक)
87.	ट्रांसप्रेयर
88.	टार मैन
89.	लाइन मैन
90.	टाइलर श्रेणी-II
91.	दीवार (फर्श, छत)
92.	टाइलर (चयन ग्रेड)
93.	टिन-स्मिथ
94.	टिन-स्मिथ (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III श्रेणी II)
95.	बैल सिन्कर
96.	सहायक मिस्त्री
97.	आर्मेचर वाइन्डर ग्रेड II और III
98.	भण्डारी
99.	लुहार
100.	लुहार (चयन ग्रेड, ग्रेड II, III श्रेणी II और III)
101.	बॉयलरमैन
102.	बॉयलरमैन ग्रेड II और III
103.	फोरमैन ग्रेड II
104.	कार्य (सहायक)
105.	ब्रिकलेयर
106.	ब्रिकलेयर (चयन ग्रेड II)
107.	ब्लास्टर
108.	चौकीदार (मुख्य)
109.	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र)
110.	बढ़ई
111.	बढ़ई (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III श्रेणी I और III सहायक)

112.	बी.आई.एम.मार्ग
113.	केबिनेट बनाने वाला
114.	केनमैन
115.	सेलोटैक्स
116.	कटर मेकर चार्गमेन, (द्वितीय श्रेणी और श्रेणी III, बढई साधारण)
117.	चेकदर (कनिष्ठ)
118.	चिक निर्माता
119.	चिक मैन (कनिष्ठ) कंक्रीट सिक्सजयोर मिक्क्षर
120.	कंक्रीट सिक्सचर प्रचालक
121.	मोची
122.	कोरमेकर
123.	चालक
124.	चालक मोटर वाहन
125.	मोटर वाहन चयन ग्रेड
126.	मोटर लोरी
127.	मोटर लोरी ग्रेड II
128.	लोरी ग्रेड II
129.	डीजल इंजन
130.	डीजल इंजन ग्रेड II
131.	मैकेनिकल रोड रोलर आईसी. और सीमेंट मिक्सर आदि
132.	रोड रोलर
133.	रोड रोलर ड्राइवर
134.	चालक इंजन स्टेटिक स्टोन केशर, ट्रेक्टर बुल डोजर/, स्टीम रोड रोलर, वाटर पम्प मैकेनिकल सहायक, रोड रोलर, मैकेनिकल, स्टीम क्रेन, बुल डोजर मैकेनिकल, सहित ट्रेक्टर, परिवहन, इंजन स्टेटिक और रोड रोलर बॉयलर परिचर
135.	उंजन परिचालक (स्टोन कर्शर मैकेनिकल)
136.	डिस्टेम्पर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन (ग्रेड II, श्रेणी II और श्रेणी III)
137.	फिटर
138.	फिटर चयन ग्रेड, ग्रेड II और III) श्रेणी II और III सहायक, पाइप श्रेणी II, पाइप लाइन बंद करने वाले लड्डे
139.	सुदृढीकरण सह-मैकेनिक, मैकनिक और प्लम्बर
140.	घरामी (प्रमुख)
141.	घलेजियर (शीशा जड़ने वाला)
142.	ब्लास्टिंग के लिए होल ड्रिलर
143.	जोइनर
144.	जोइनर (केबल, केबल ग्रेड II
145.	लाइनमैन (ग्रेड II, III, उच्च तनाव/निम्न तनाव)
146.	राजमिस्त्री
147.	राज मिस्त्री (चयन ग्रेडए ग्रेड II, III और कक्षा बी मिस्त्री)
148.	स्टोन (स्टोन क्लास II, ईट बर्क, स्टोन बर्क)
149.	ईट-परत
150.	टाइल बिछाना

151.	बी.आई.एस. मुक्कदम (प्रमुख)
152.	पत्थर काटना
153.	साधारण मैकनिक
154.	मैकनिक
155.	मैकनिक (श्रेणी II, एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग ग्रेड II)
156.	डीजल ग्रेड II
157.	रोड रोलर ग्रेड II
158.	सहायक (रेडियो)
159.	राज मिस्त्री (घरामी)
160.	मिस्त्री
161.	मिस्त्री ग्रेड ए एयर कंडीशनिंग ग्रेड II, पी.वे, सर्वे, संतरा कार्य)
162.	राज मिस्त्री श्रेणी क
163.	माउलडर
164.	माउलडर (ईंट, टाइल)
165.	पेंटर
166.	पेंटर (चयन ग्रेड ए ग्रेड II और III, श्रेणी II, सहायक लोटर और पालिशगर, पालिशगर, रफ)
167.	लेपक
168.	लेपक (राजमिस्त्री ग्रेड II)
169.	पलम्बर
170.	पलम्बर (चयन ग्रेड, श्रेणी II, सहायक लोटर और पालिशर, रफ)
171.	लेपक
172.	प्लास्टर (राजमिस्त्री ग्रेड II)
173.	पलम्बर (चयन ग्रेड, श्रेणी II, सहायक वरिष्ठ, जूनियर, मिस्त्री ग्रेड II)
174.	पाइपलाइन मिस्त्री
175.	प्लम्बर-सह-फिटर
176.	पालिशर
177.	पालिशर (तल)
178.	सिरधर लठे मन
179.	भूविज्ञानी
180.	ट्रेलर्स
181.	ट्रनर
182.	गद्दी लगाने वाला
183.	अपोलोस्टर (ग्रेड II और III)
184.	पेंटर स्प्रे (श्रेणी II)
185.	लकड़हारा
186.	लकड़हारा चयन ग्रेड
187.	लकड़हारा श्रेणी II
188.	वर्क सिरकार
189.	वैल्डर
190.	एयरविनेह होलेज परिचालक
191.	ऑटो इलेक्ट्रीशियन

192.	पेंटर
193.	लोहार
194.	दर्जी
195.	कंप्रेसर प्रचालक
196.	ब्लास्टर-शॉट / फाइरेर
197.	ड्राइवर
198.	मुख्य रसोइया
199.	चार्लमैन
200.	बढ़ई
201.	कंक्रीट मिक्सर प्रचालक
202.	कंप्रेसर परिचर
203.	एयर कंप्रेसर परिचर
204.	ट्रैक्टर चालक
205.	वाहन चालक
206.	केमिस्ट और सहायक / केमिस्ट
207.	सब-ओवरसियर (अयोग्य)
208.	ड्रिलर
209.	हैंडहोल ड्रिलर
210.	ड्रिल मैकनिक
211.	ड्राइवर ऑटो
212.	बिजली मिस्त्री
213.	वायर लैस संचालक सहायक फोरमैन
214.	फोरमैन
215.	फिटर
216.	फेरी चालक
217.	जारीकर्ता लोको
218.	सुपर फोरमैन
219.	लहरा संचालक
220.	आईएमसीई चालक
221.	चलक
222.	लोको ड्राइवर
223.	लोडर प्रचालक
224.	लारनमैन
225.	मैकनिक मशीनिस्ट
226.	राजमिस्त्री
227.	प्रसाविका
228.	टिन से मढ़नेवाला
229.	सुपरवाइजरी मैकेनिक
230.	केवल जिप्सम, बेराइट्स और रॉक फॉस्फेट में पंप परिचर
231.	पंप ऑपरेटर / चालक
232.	धात्विक खान / विनियम, 1961 के तहत योग्यता प्रमाण पत्र के साथ खनन मेट
233.	मिस्त्री

234.	कुशल मजदूर
235.	टर्नर
236.	वरिष्ठ मैकनिक
237.	ड्राफ्टमैन
238.	पर्यवेक्षक
239.	ड्राफ्ट्स मैन
240.	वायरमैन
241.	टिम्बर मैन/टिम्बर मिस्त्री इलैक्ट्र
242.	स्टोन केशर प्रचालक
243.	केशर प्रचालक
244.	माउलडर
245.	बेल्डर
246.	ऑपरेटर
247.	कार्य मिस्त्री
248.	इंजन चालक
249.	खनन इंजन चालक ग्रेड II
250.	इंजनमैन
251.	वाल्वमैन
252.	कटर
253.	विडिंग इंजन चालक ग्रेड II
254.	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र)/मुख्य चौकीदार
255.	फावरा प्रचालक
256.	लिस्को लोडर प्रचालक
257.	भूतल पर्यवेक्षक
258.	डोजर संचालक
259.	कंप्रेसर ड्रिलर
260.	डम्पर ट्रैक्टर ऑपरेटर सहित
261.	बॉयलर मैन (प्रमाण –पत्र सहित)
262.	मशीनरी परिचर
263.	एयर कंडिशन मैकनिक
264.	क्रेच परिचर केवल मैग्नेसाइट, मैग्नीज और और मीका माइन्स में
265.	फावरा ऑपरेटर
266.	पावर और पम्प हाउस प्रचालक
267.	खान ग्रेड-I
268.	ट्रैक्टर ऑपरेटर
269.	स्टेशनरी इंजन परिचर जेनरेटर ऑपरेटर 84, लोडिंग फोरमैन
270.	डीजल मैकनिक
271.	फेरो प्रिंटर सह-अध्यक्ष
272.	व्हाइट वॉशिंग और कलर वाशिंग मैन
273.	ऑपरेटर न्यूनेट्रिक उपकरण, ऑपरेटर (फिटर)
274.	बोरमैन
275.	बेरेर

276.	वायरमैन (ग्रेड II और III, मैकनिक, इलेक्ट्रिकल)
277.	व्हाइट वोशर
278.	व्हाइट वोशर (चयन ग्रेड, द्वितीय श्रेणी)
279.	वायरमैन
280.	वेल्डर (श्रेणी II, ब्रिज कार्य)
281.	वेल्डर गैस
282.	मुक्कतम (धात्विक खान विनियम, 1961 के तहत क्षमता प्रमाण-पत्र)
283.	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र) और अन्य वर्ग जो भी नाम से जो कुशल प्रकृति के हैं
284.	सहायक (फार्म)
285.	सहायक (कैशियर)
286.	पुस्तकालय अध्यक्ष
287.	टेलेक्स या टेलीफोन ऑपरेटर
288.	हिंदी अनुवादक
289.	टेलेक्स या टेलीफोन ऑपरेटर
290.	हिंदी अनुवादक
291.	लेखा लिपिक
292.	लिपिक
293.	कंप्यूटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर
294.	टेलीफोन ऑपरेटर, टाइपिस्ट
295.	स्टोर कीपर
296.	एम.सी. लिपिक
297.	मुंशी (मैट्रिकुलेट, गैर-मैट्रिकुलेट)
298.	स्टोर लिपिक (मैट्रिकुलेट, गैर-मैट्रिकुलेट)
299.	स्टोर कीपर
300.	स्टोर कीपर
301.	टाइम कीपर
302.	टाइम कीपर (मैट्रिकुलेट- मैट्रिकुलेट नॉन)
303.	बुक कीपर
304.	कार्य मुंशी
305.	कार्य मुंशी (अधीनस्थ)
306.	पत्रिका लिपिक
307.	टेलर लिपिक
308.	दुकान लिपिक
309.	टैली लिपिक
310.	स्टोर जारीकर्ता
311.	औजार धारक
312.	कंप्यूटर/डेटा एंट्री ऑपरेटर
313.	रिकार्ड धारक
314.	अन्वेषक
315.	फाइल लिपिक
316.	रजिस्टर कीपर
317.	टाइम कीपर

318.	लिपिक
319.	मुंशी
320.	टाइपिस्ट और अन्य श्रेणी जो भी नाम से पुकारते हैं जो लिपिक प्रकृति के हैं

क्रम संख्या	अत्यधिक कुशल
1.	आर्टिफिशियल श्रेणी ।
2.	लोहार श्रेणी ।
3.	बढ़ई श्रेणी ।
4.	मशीन ।
5.	हस्त श्रेणी ।
6.	राजमिस्त्री श्रेणी ।
7.	मैकनिक (वरिष्ठ)
8.	पेंटर (ग्रेड । श्रेणी ए स्प्रे) प्लास्टर (राजमिस्त्री) श्रेणी- ।
9	प्लम्बर (मुख्या, श्रेणी ।)
10.	मिस्त्री ग्रेड ।
11.	पालिशर (स्प्रे ग्रेड ।)
12.	रोड इंस्पेक्टर ग्रेड ।
13	लकड़हारा श्रेणी ।
14.	स्टोन कटर ग्रेड ।
15.	स्टोन चिसलर श्रेणी ।
16.	स्टोन कटर श्रेणी ।
17.	स्टोन मेसन श्रेणी स ।
18.	उप-ओवरसियर (कुशल)
19.	टिलर श्रेणी ।
20.	टिनस्मिथ ग्रेड । और श्रेणी ।
21.	गद्दी लगाने वाला ग्रेड ।
22.	वार्निश करने वाला श्रेणी ।
23.	वेल्डर-कम-फिटर और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक
24.	वेल्डर (गैस) श्रेणी ।
25.	व्हाइट वॉशर श्रेणी ।
26.	वायरमैन ग्रेड ए श्रेणी ।
27.	लकड़हारा श्रेणी ।
28.	चक्की (उपकरण) ग्रेड ।
29.	प्रचालक (बैचिंग प्लांट ग्रेड ।)
30.	लीडर ग्रेड ।
31.	पाइल ड्राइविंग ग्रेड ।
32.	पंप गेड
33.	स्क्रेपर ग्रेड ।
34.	स्क्रीनिंग प्लांट ग्रेड ।
35.	पंप गेड
36.	स्क्रेपर ग्रेड ।
37.	सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र)

38.	आर्मेचर विंडर ग्रेड ।
39.	लोहार ग्रेड । और श्रेणी ।
40.	बॉयलरमैन ग्रेड ।
41.	बॉयलरमैन फायरमैन ग्रेड ।
42.	ईट परत श्रेणी ।
43.	केवल जॉइनर ग्रेड ।
44.	बढ़ई ग्रेड । और श्रेणी ।
45.	सेलो कटर और डेकोरेटर
46.	चार्जमैन श्रेणी ।
47.	(चेकर ड्राइवर लॉरी ग्रेडसीनिय)
48.	मोटर लॉरी ग्रेड ।
49.	मोटर व्हीकल श्रेणी । और डीजल इंजन ग्रेड ।
50.	रोड रोलर ग्रेड ।
51.	पंप क्लास इलेक्ट्रीशियन ग्रेड । और श्रेणी I/ ग्रेड ।
52.	फिटर (ग्रेड I, श्रेणी I)
53.	पाइप श्रेणी श्रेणी । (मुख्य)
54.	फोरमैन (सहायक) लाइनमैन ग्रेड । राजमिस्त्री (कुशल ग्रेड । और श्रेणी I)
55.	मस्त रिग
56.	मैकेनिक श्रेणी । और श्रेणी II
57.	मैकेनिक (डीजल ग्रेड । और रोड रोलर ग्रेड I)
58.	एयरकंडिशनिंग ग्रेड ।/ श्रेणी । मिस्त्री ग्रेड ।
59.	मिस्त्री एयरकंडिशनिंग ग्रेड ।
60.	ओवरसियर
61.	ओवरसियर (सीनियर और जूनियर)
62.	ड्रैगलाइन ग्रेड ।
63.	ड्रिल ग्रेड ।
64.	डम्पर ग्रेड ।
65.	खुदाई ग्रेड ।
66.	कांटा लिफ्ट ग्रेड ।
67.	जेनरेटर ग्रेड ।
68.	रिगर ग्रेड ।
69.	रिगर ग्रेड II
70.	चार्पर सिटर ग्रेड ।
71.	फावड़ा और ड्रैगलाइन ट्रैक्टर ग्रेड ।
72.	ट्रैडसमैन क्लास ।
73.	टर्नर मिलर ग्रेड ।
74.	कार्य सहायक ग्रेड ।
75.	कंपाउंडर
76.	सर्वेयर
77.	विंडिंग इंजन चालक
78.	ऑपरेटर (भारी मिट्टी उठाने वाली बेलचा और बुलडोजर)
79.	मुख्य मिस्त्री

80.	डिपलोमा सहित स्टाफ नर्स
81.	जैक हैमर के अतिरिक्त ड्रिल ऑपरेटर
82.	योग्यता प्रमाण पत्र सहित विद्युत पर्यवेक्षक
83.	अंडरग्राउंड शिफ्ट बॉस
84.	मुख्य मैकेनिक
85.	योग्य और अनुभवी वेल्डर
86.	मशीन टूल मैकेनिक
87.	मैकेनिकल/प्लांट फोरमैन
88.	खनन पर्यवेक्षक
89.	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक/शिक्षक
90.	मुख्य इलेक्ट्रीशियन
91.	लेखापरीक्षक
92.	7 साल की सेवा वाले स्टेनो
93.	स्टोर प्रभारी
94.	शिफ्ट प्रभारी
95.	पर्यवेक्षक
96.	वॉच और वार्ड के प्रभारी
97.	सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र)
98.	क्रेन ग्रेड।
99.	डीजल इंजन ग्रेड।
100.	डीजल ग्रेड।
101.	क्लैप शैल ग्रेड।
102.	कंप्रेसर ग्रेड।
103.	ग्रेडर ग्रेड।
104.	ट्रैक्टर ग्रेड।
105.	वाइब्रेटर ग्रेड।
106.	स्क्रीनिंग प्लांट ग्रेड।
107.	बेलचा ग्रेड।
108.	फावड़ा और ड्रैगलाइन
109.	टायरवेलकुलर ग्रेड।
110.	सिक्वोरिटी गार्ड (सशस्त्र) और अन्य श्रेणियों को जा भी नाम से बुलाया जाता है जो अत्यधिक कुशल प्रकृति के हैं।

डॉ० राजा सेखर वुन्द्रू, भा०प्रा०से०
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
श्रम विभाग